₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

फ़रवरी 2011

- पूंजीवादी देश और मानवाधिकार
  —डॉ॰ रामबहादुर वर्मा
- धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम पहचान
  —डॉ॰ असग़र अली इंजीनियर
- इस्लाम में मानवाधिकार
  —मौलाना अबुल आला मौदूदी
- अंग्रेज़ और कर्नाटक के नवाब
  —पं॰ सुन्दरलाल

अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनिया

मिस्बाह नगर, चौकोनिया, भारत-भारी सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश

पिछले 50 वर्षों से क़ौम व मिल्लत की ख़िदमत और मिल्लत की नयी नस्ल की तालीम व तर्बियत में लगा हुआ है ।

जामिया में निम्नलिखित विभाग हैं–

इब्तिदाई, सानवी, आला (आलमियत तक) हिफ़्ज़

उर्दू, अरबी, मिनी आई॰टी॰आई॰

स्टडी सेन्टर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनीवर्सिटी

स्टडी सेन्टर एन॰आई॰ओ॰एस॰, स्टडी सेन्टर एन॰सी॰पी॰यू॰एल॰

इन विभागों में 1025 छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं ।

यह संस्था अपनी सभी गतिविधियों के साथ-साथ गतिशील है। वर्तमान समय में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की कमी है। दान करने वाले, सहानुभूति रखने वाले लोगों से अपील है कि संस्था को सहायता प्रदान करें ताकि यह संस्था पूर्व की तरह सेवा में समर्पित रहे तथा अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा कर सके।

जाबिर इनामुल्लाह चौधरी (प्रबंधक)

JAMIA MISBAHUL ULOOM

Misbah Nagar (Chaukonia), Bharat Bhari,
Siddharth Nagar (U.P.) 272191
A/C No. 30290663653, S.B.I. Dumariya Ganj
Ph. No.–09450567737, 09793424547, 09936448322

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 20 अंक 8 फ़रवरी 2011

ऐ ईमान लाने वालो ! अल्लाह के लिए ख़ूब उठने वाले, इन्साफ़ की निगरानी करने वाले बनो और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो । (कुरआन, 5:8)

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

ई.मेल kantimasik@gmail.com

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-

दो वर्ष 300/- पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

नोट–चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

सितम की तेग़[1] ये कहती है सर न ऊंचा कर
पुकारती है बलन्दी कि ज़िन्दगी है इधर

चमन में हम न रहेंगे तेरे पलटने तक
ठहर-ठहर ज़रा जाती हुई बहार ठहर

मेरी जबीं[2] पे उभरने लगे नुक़ूशे-ग़ुरूर[3]
मेरे संवारने वाले मुझे तबाह न कर

कोई फ़रेब न खाए सफ़ेदपोशी से
न जाने कितने सितारे निगल गयी है सहर[4]

तू जौहरी है तो ज़ेबा[5] नहीं तुझे ये गुरेज़
मुझे परख मेरी शुहरत का इन्तिज़ार न कर

'हफ़ीज़' कितने ही चेहरे उदास होने लगे
हमारे फ़न को सराहें बहुत न अह्ले-नज़र ।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1. तलवार 2. माथे 3. अभिमान के चिन्ह 4. प्रातःकाल 5. उचित

नित्य पुकार

जागो-जागो वक़्त अभी है,
उसकी नित्य पुकार यही है ।
कब तक भ्रम में ग्रस्त रहोगे ?
अपने में ही मस्त रहोगे ।
बेख़बरी, अज्ञान दशा में,
कब किसको सद्ज्ञान मिला है?
मानव को कुरआन मिला है ।

● **मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां 'विनय'**



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
मांगने से बचना (हदीस मंजरी)		6
इस्लाम है भ्रष्टाचार का निदान (संपादकीय)		7
महामानव हज़रत मुहम्मद सल्ल० (आपके पत्र)		8
हज़रत उम्मे इसहाक़ रज़ि० (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	13
धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम पहचान	–डॉ० असग़र अली इंजीनियर	15
अंग्रेज़ और कर्नाटक के नवाब	–पं० सुन्दरलाल	19
विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश	–पुष्पा श्रीवास्तव	22
टेंडर, टिकट (लघुकथाएं)	–रोहित यादव	25
विकसित पूंजीवादी देश और मानवाधिकार	–डॉ० रामबहादुर वर्मा	26-27
प्रगति का स्वांग (कविता)	–ईश्वर दयाल जायसवाल	29
इस्लाम में मानवाधिकार की सुरक्षा के प्रावधान	–मौलाना अबुल आला मौदूदी	30
बड़े आदमी (कहानी)	–विद्या प्रकाश	35
ऐसे परखें मिलावटी चीज़ों को (अर्थ उपभोक्ता)	–डॉ० विनोद गुप्त	39
अनेक रोगों से मुक्ति दिलाती है हरी एवं लाल मिर्च (स्वास्थ्य चर्चा)	–एस० आर० मित्तल	41
अभिमत		43
यह कैसा लोकतंत्र ?	–विद्या प्रकाश	45
न्यूनतम मज़दूरी का सवाल	–अरुणा राय, निखिल डे	47
पांच सौ साल पुराना है टूथ ब्रश का इतिहास (बाल संसार)	–विद्या प्रकाश	49

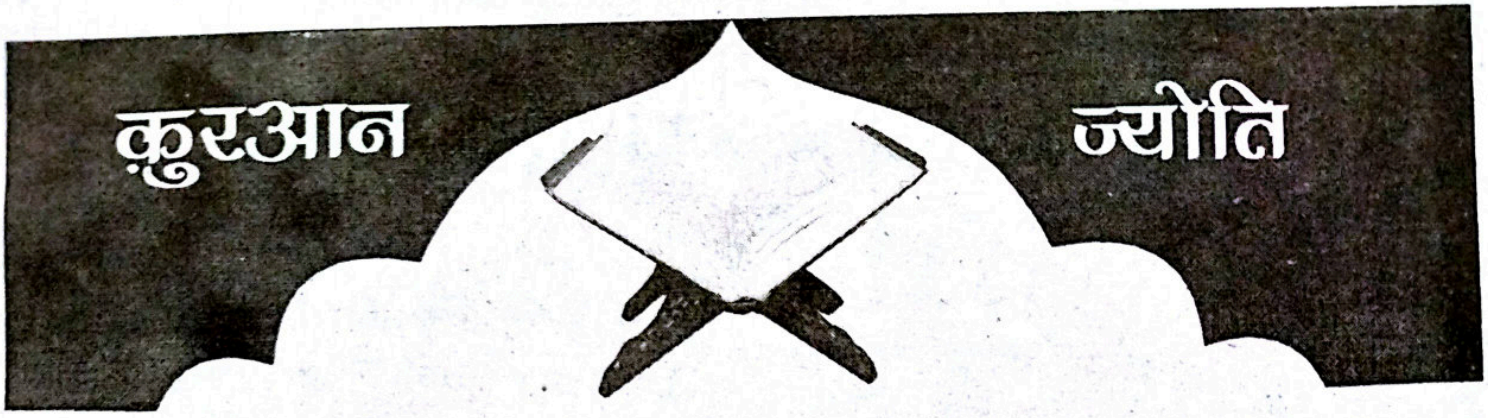

(2) सच्चे ईमान वाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का ज़िक्र सुनकर कांप उठते हैं और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है[2] और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं, (3) जो नमाज़ क़ायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से (हमारे रास्ते में) ख़र्च करते हैं। (4) ऐसे ही लोग सच्चे ईमान वाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, ग़लतियों से माफ़ी है[3] और उत्तम रोज़ी है। (5) (इस लड़ाई में हासिल माल के मामले में भी वैसी ही स्थिति सामने आ रही हैं जैसी उस समय सामने आयी थी जबकि) तेरा रब तुझे हक़ के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और ईमान वालों में से एक गिरोह को यह बहुत अप्रिय था। वे उस हक़ के विषय में तुझसे झगड़ रहे थे, हालांकि वह साफ़-साफ़ स्पष्ट हो चुका था। उनका हाल यह था कि वे मानो आंखों देखते मौत की ओर हांके जा रहे हैं।

–क़ुरआन, 8 : 2-4

---

2. अर्थात हर ऐसे अवसर पर जबकि अल्लाह का कोई आदेश मनुष्य के सामने आये और वह उसे सच्चा समझकर उसका पालन करे, आदमी के ईमान में बढ़ोत्तरी होती है। इसके विपरीत अगर ऐसा करने में आदमी कोताही करे तो उसके ईमान की जान निकलनी शुरू हो जाती है। इस तरह मालूम हुआ कि ईमान और इन्कार दोनों में अवनति और उन्नति की क्षमता मौजूद है। हर इन्कार की स्थिति घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, और इसी तरह हर स्वीकरण और पुष्टि में उन्नति भी हो सकती है और अवनति भी। अलबत्ता धर्मशास्त्रों (फ़िक़्ह) की दृष्टि से संस्कृति-व्यवस्था में अधिकारों और पदों का निर्धारण जब भी किया जाएगा, तो मानने, न मानने दोनों की बस एक ही स्थिति का एतिबार किया जाएगा। (उनकी विभिन्न परिस्थितियों और मनोदशाओं का कोई लिहाज़ न किया जाएगा।)

पवित्र क़ुरआन
को इंटरनेट पर पढ़िए
www.quranhindi.com

3. ग़लतियां बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे ईमान वालों से भी हो सकती हैं और हुई हैं और जब तक इन्सान इन्सान है, यह असंभव है कि उसका कर्म-पत्र पूरी तरह उत्कृष्ट कार्यों ही पर सम्मिलित हो और ग़लती, कोताही, त्रुटि से बिल्कुल ख़ाली रहे। मगर अल्लाह की रहमतों में से यह भी एक बड़ी रहमत है कि जब इन्सान बन्दगी की अनिवार्य शर्तें पूरी कर देता है तो अल्लाह उसकी ग़लतियों की अनदेखी कर देता है और उसकी सेवाएं जिस 'बदले' की हक़दार होती, उससे कुछ ज़्यादा बदला अपनी कृपा से प्रदान करता है।

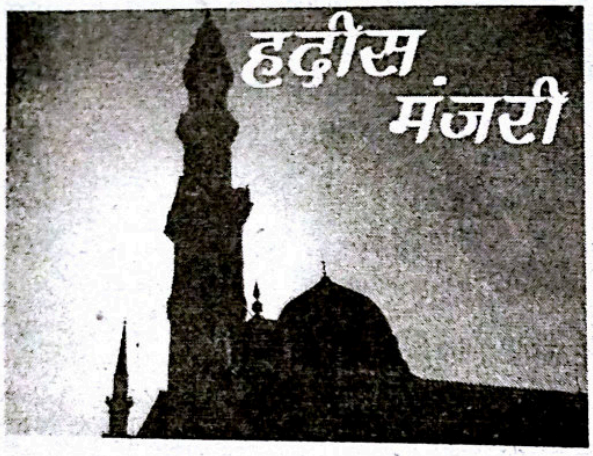

मांगने से बचना

● हज़रत हकीम बिन हिजाम (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से मांगा, तो आपने मुझे प्रदान किया । मैंने फिर आपसे मांगा, तो आपने मुझें फिर दिया । मैंने फिर मांगा, तो आपने मुझे फिर दिया और कहा :''ऐ हकीम, यह माल बहुत हरित (मनोहारी) और मधुर है, जो इसे मन की निस्पृहता के साथ लेता है, उसके लिए इसमें बरकत होगी । और जो कोई इसे मन के लोभ के साथ लेता है, उसके लिए इसमें कोई बरकत नहीं होती और वह उस व्यक्ति की तरह होता है जो खाता रहे किन्तु उसका पेट न भरे । और ऊपर वाला हाथ (अर्थात देने वाला) नीचे वाले हाथ से अच्छा है ।'' हज़रत हकीम (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, उसकी सौगंध जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, मैं आजके बाद किसी से कुछ भी नहीं लूंगा यहां तक कि दुनिया से जुदा हो जाऊं ।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : ''निस्पृहता एवं सम्पन्नता धन की अधिकता से प्राप्त नहीं होती बल्कि निस्पृहता तो मन की निस्पृहता है ।''

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) हज़रत हकीम (रज़ि॰) को बुलाया करते कि उन्हें कुछ दें, लेकिन वे उनसे कुछ लेने से इन्कार करते रहे । फिर हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उन्हें कुछ देने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । हज़रत उमर (रज़ि॰) ने कहा : ऐ मुसलमानो, मैं तुम्हें हकीम के मामले में गवाह बनाता हूं कि मैंने 'फ़ै' (बिना लड़े-भिड़े प्राप्त शत्रु का माल) के माल में से अल्लाह ने जो उनका हिस्सा रखा है, मैं वह उन्हें पेश करता हूं और वे उसे लेने से इन्कार करते हैं । हज़रत हकीम (रज़ि॰) ने नबी (सल्ल॰) के बाद किसी से कुछ न लिया यहां तक कि उनकी मृत्यु हो गयी ।

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू अब्दुल्लाह अज़-ज़ुबैर बिन अल-औवाम (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : ''यह कि तुममें से कोई व्यक्ति अपनी रस्सियां लेकर पहाड़ पर जाए और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लेकर आये और बेचे । इस प्रकार अल्लाह उसके चेहरे की आभा को नष्ट होने से बचा ले, तो यह उसके लिए इससे अच्छा है कि लोगों से मांगता फिरे । वे उसे कुछ दें या न दें ।''

–बुख़ारी

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय

हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

संपादकीय

इस्लाम है भ्रष्टाचार का निदान

हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है । पूर्व केन्द्रीय संचार मंत्री ए० राजा का हज़ारों करोड़ का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला पूर्व के किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रवैया ऐसा है मानो कोई आम बात हो ! विपक्ष अपनी राजनीतिक कार्ययोजना के तहत सरगर्म है, तो सत्तापक्ष के पास अपनी 'कार्ययोजना' है, लेकिन जहां तक सवाल भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई का है, दोनों 'नीरव' और 'ख़ामोश' अंदाज़ में मामले को दीर्घकालिक बनाकर उसे विलुप्त करना चाहते हैं, जैसा कि अतीत के घोटालों का हश्र हुआ ! हमारे देश की जनता भावना प्रधान है । चर्चा होने पर वह जागती ज़रूर है, लेकिन इस गंभीर समस्या के निदान के लिए वह अवसर पाकर सक्रिय रहे, ऐसा प्राय: नहीं होता । उस पर दूसरे भावनात्मक मुद्दे थोप दिये जाते हैं । यह भी राजनीतिक सुविचारित कार्ययोजना के अंतर्गत होता है । इसका परिणाम यह होता है कि कई महत्वपूर्ण और गंभीर मामले दब जाते हैं, यहां तक कि उन्हें लंबे समय के लिए दबा दिया जाता है । जब भी इनके उठने की आशंका होती है, राजनीतिक 'इच्छाशक्ति' के आगे फिर ये धूल-धूसरित हो जाते हैं । हमारे देश में भ्रष्टाचार का सीधा अर्थ रिश्वतख़ोरी है, जबकि 'भ्रष्टाचार' व्यापक अर्थों वाला शब्द है । यह भ्रष्टाचार हमारे देश की उन्नति प्रगति के सबसे बड़े बाधकों में से एक है ।

ट्रांसपरेंसी इन्टरनेशनल इंडिया का यह मानना है कि भ्रष्टाचार ही वह चीज़ है जो भारतीय समाज को खोखला बना रही है और उन्नति-प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है । इस संगठन के अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 22 हज़ार करोड़ रुपयों का रिश्वत के रूप में लेन-देन होता है । 11 सार्वजनिक महत्वपूर्ण इकाइयों-नगरपालिका, पुलिस, न्यायपालिका, सरकारी अस्पताल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बिजली, शिक्षा और जलापूर्ति आदि विभागों में रिश्वत की भारी 'घुसपैठ' है । वास्तविकता यह है कि हमारे देश का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है । यद्यपि सर्वे में भारत भ्रष्टाचार का नाम सिरमौर के रूप में नहीं आता, तथापि यहां भ्रष्टाचार की विकरालता स्वयंसिद्ध है । वैसे भ्रष्टाचार का सही अर्थ मनुष्य के समग्र कर्मों में आने वाला बिगाड़ है । जब वह सुकर्म नहीं करता, भष्टाचार पनपता है । किसी का कर्म उस समय तक सुकर्म नहीं बन सकता है, जब तक कि वह सन्मार्ग को अपनाकर उस पर नहीं चलता । सन्मार्ग को तभी सही और शुद्ध रूप में अपनाया जा सकता है, जब वास्तविक धर्म और उसकी शिक्षाओं पर चला जाए । इस अनुगमन से ही ईश्वर की प्रसन्नता और लोक-परलोक की सफलता प्राप्त हो सकती है । इस्लाम अपनी प्रमाणिक और पूर्ण शक्ल में अल्लाह के अन्तिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के ज़रिये आया । इस धर्म को कई आक्षेपकर्ता एवं विरोधी भी विशुद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन अपने दृष्टिकोण को तुष्ट करने के लिए आक्षेपक मुद्रा अपना कर अपना पक्ष स्पष्ट करने से बाज़ नहीं आते, हालांकि उन्हें अपने पक्ष की कमज़ोरी और लचर स्थिति का ज्ञान होता है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) उसी इस्लाम को लेकर आये जो पूर्व के दूसरे पैग़म्बर (अलैहि०) लाये थे । आप (सल्ल०) ने अपने से पहले की आसमानी शरीअतों (ईश्वरीय धर्म-विधानों) का खंडन नहीं किया, बल्कि उनकी पुष्टि की और उनका संरक्षण किया । आप (सल्ल०) की रिसालत (पैग़म्बरी) अंतिम और संपूर्ण मानवजाति के लिए है । इस्लाम की शिक्षाएं मानव को अज्ञान से निकाल कर बन्दगी (ईशभक्ति) और ईश-विधान की ओर ले जाती हैं और मानवों के हृदयों को ईशभय की ओर प्रेरित करती हैं । ये वे गुण हैं, जो मानव को सन्मार्ग के अनुगामी बनाते हैं और उसे भ्रष्टाचार के निकट फटकने तक नहीं देते । अत: इन्हें अपनाने की आवश्यकता है और जो लोग इनके अनुगामी हैं उन्हें और मज़बूती व दृढ़ता के साथ इसे अपनाना चाहिए ।

महामानव हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)

हमेशा की तरह 'कान्ति' का सितम्बर 2010 का अंक भी शानदार, प्रेरणादायी और दिल को छूने वाला था । डॉ० जसवीर आर्य का आलेख 'अनुपम व्यक्तित्व है हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का' बेहद पसन्द आया । मुहम्मद (सल्ल०) उस महामानव का नाम है, जिसके जिस्म की हर सांस और दिल की हर धड़कन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए थी ।

आप (सल्ल०) किसी यूनीवर्सिटी या स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गये, लेकिन सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आपको उस महान ज्ञान का माध्यम बनाया, जिसे दुनिया कुरआन के नाम से जानती है । यह एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें जीवन (मानव या राष्ट्र) के सभी पक्ष शामिल हैं और उनके संदर्भ में स्पष्ट नियम हैं ।

कुरआन वह किताब है, जिसका संगीतमय गान बेचैन दिल और दिमाग़ को सकून व शांति देता है, लेकिन वक़्त आने पर अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए बुजदिलों को भी बहादुर बना देता है । अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुरबान कर देने वाले ऐ प्यारे नबी मुहम्मद (सल्ल०) सलाम !

उत्कृष्ट पत्र

अनुपम है इस्लाम

मैं पवित्र कुरआन, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पवित्र वचनों और तौर-तरीक़ों एवं इस्लाम की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हूं । इससे मुझे एक नयी रोशनी मिली है । आज जहां अन्य धर्मों में मिलावट पायी जाती है वहीं इस्लाम मिलावट से पाक है ।

मैं इस्लाम को जानने-समझने के लिए 'कान्ति' पत्रिका पढ़ता हूं ।

विश्व मोहन कुमार सिन्हा
लेखा नगर, निकट डी०ए०वी० स्कूल,
कैंट रोड, खगौल, पटना (बिहार)

■ आपको एक वर्ष तक 'कान्ति' मासिक मुफ़्त प्राप्त होगी ।
–संपादक

कौन कहता है कि
तमन्नाओं की कभी शाम होती है ?
कोशिशें भी सदा
तक़दीर की ग़ुलाम होती हैं !
यूं हार कर तू आंसू न बहा साथी,
नाकामयाबी भी जीत का
एक पैग़ाम होती है ।
मुश्किलों में न मुस्कुराए
तो बेचारे बन जाओगे,
ग़ैरों से जंग जीतकर भी
खुद से हार जाओगे
अगर चमकना है
तो आफ़ताब बनकर चमको
कहीं चूक गये
तो ज़रूर सितारे बन जाओगे ।

राजीव शर्मा
लक्ष्य, दैनिक भास्कर, 10-जे०एल०एन० मार्ग,
मालवीय नगर, जयपुर
rajeev.kolsiya@gmail.com

अयोध्या फ़ैसला : एक आशंका

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अयोध्या में मंदिर-मस्जिद पर फ़ैसला आ चुका है । 'कान्ति' मासिक-साप्ताहिक ने इस फ़ैसले के प्रभाव परिणाम पर पाठक-लेखकों से विचार आमंत्रित किये हैं । यह ऐसा विवादित मुद्दा है जिस पर क़लम चलाना किसी भी एक वर्ग को असंतुष्ट कर सकता है । अपितु हर व्यक्ति के विचार उसकी अपनी आंतरिक दशा पर निर्भर होते हैं । ज़रूरी नहीं आप मेरे विचारों से सहमत ही हों, इसलिए कृपया फिर भी विचारों पर देश की अमन-शांति के लिए चिंतन ज़रूर कर लें । कुछ किसी को अनुचित लगे तो कृपया मुझे हिन्दू-मुस्लिम भाई-बहन क्षमा ज़रूर कर दें । मेरा अभिप्राय है किसी को भी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े । यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं । मैं इन्सानियत, मानवता,

नैतिकता की पक्षधर हूं बाक़ी बाद में । इसलिए मुझे इन बातों में विशेष कोई रुचि नहीं और भी मुद्दे ज़रूरी हैं, इसके लिए मन शांत होना चाहिए ।

अब आते हैं इस विषय पर, माना है पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक आंकड़े विश्वसनीय न हों, माननीय जजों का फ़ैसला अपेक्षाओं के अनुकूल न हो, भूमि का भी बंटवारा निष्पक्ष न हुआ हो, जो भी हो इन फ़ैसलों से कोई न कोई वर्ग असंतुष्ट ज़रूर ही होता । वह तो शुक्र रहा उस समय देश की फ़ज़ा न बिगड़ी ।

अब जो ज़रा भी विवेकी हैं सोचें-विचारें क्या वह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पुन: संतुष्ट हो जाएंगे । नहीं ! यदि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का अपेक्षित नहीं आया तब असंतुष्ट वर्ग क्या करेगा ? यही न कि साम्प्रदायिक दंगे, हिंसा, उन्माद का दौर चलेगा, धर्मनिरपेक्ष का राग अलाप कर राजनीतिक पार्टियां अपने सत्तासुख के लिए वोटों के लिए कुटिल चाल चलेगी । डर है कहीं गुजरात के जैसा नरसंहार फिर न हो जाए ।

मेरे भाइयो ! सोचो ! समाज अस्त-व्यस्त हो जाएगा, ग़रीब और ग़रीब हो जाएंगे और हमारे माननीय नेताजी धर्म के ठेकेदारों का बाल बांका भी न होगा । सुरक्षा में देश का करोड़ों रुपया फुंक जाएगा । प्रभाव-परिणाम मुझे तो कुछ अच्छे नज़र नहीं आते, इसलिए मेरे विचार में आप दोनों ही समझदारी से इस समस्या का समाधान कर लें । ऐसी कोई समस्या नहीं इस संसार में जिसका समाधान न हो सके । दो की लड़ाई में तीसरे को ही लाभ मिलता है । यदि क़ानून ही इसे सुलझाने की सामर्थ्य रखता तो साठ साल से इस मुक़दमे का निष्पक्ष फ़ैसला हो गया होता ।

शशिप्रभा शर्मा

हापुड़, ग़ाज़ियाबाद

कुंअर सिंह को मदद

आपके द्वारा संपादित मासिक पत्रिका 'कान्ति' की कई प्रतियां विभिन्न अंकों के रूप में देखने को मिली । पत्रिका अच्छी है । स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान करने वाली वीरांगना हाजी बेगम को कम ही लोग जानते हैं । यदि ये अपने ख़ज़ाने से वीर कुंअर सिंह को मदद न करती, तो आज इनका इतिहास ही दूसरा होता ।

अमल सिंह 'भिक्षुक'

सासाराम (बिहार)

बाबर और गुरु नानक

अयोध्या की बाबरी मस्जिद के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रियाएं सामने आयीं हैं, जिसमें उच्च कोटि के एक अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस निर्णय को आस्था पर आधारित तथा राजनीति से प्रेरित बताकर उसे विधि के विपरीत कहा । पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक पत्र (बनाम हरेन मुखर्जी दिनांक 19/7/89) में यह स्वीकार किया है कि 'यह असंभव है कि वास्तविक रूप से यह बतलाया जाए कि रामजी का जन्म स्थल कहां है । प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन के पुत्र प्रोफ़ेसर एस॰ गोपाल ने चेन्नई (मद्रास) में एक व्याख्यान में कहा कि अयोध्या में आज भी तीस ऐसे स्थान हैं जहां रामजी के जन्म के दावे प्रस्तुत किये जाते हैं । यदि इन स्थानों के संबंध में यह कहा जाता है कि वहां रामजी का जन्म स्थान है तब यह कैसे संभव है । गर्भ गृह ठीक बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे हो जबकि रामजी की मां कौशल्या जी का महल बाबरी मस्जिद से 120 यार्ड की दूरी पर बताया जाता है ।

सिखों के प्रसिद्ध संत गुरु नानक जी की मृत्यु बाबर की मृत्यु से लगभग नौ वर्ष पश्चात हुई थी । उन्होंने अपनी पुस्तक ग्रंथ साहब में अनेकों दोहे बाबर के विरुद्ध कहे हैं लेकिन उनके दोहों में मंदिर गिराये जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं है । स्पष्ट हो कि उन्होंने स्वयं अयोध्या का भ्रमण भी किया था । यदि वाल्मीकि के तथ्यों पर दृष्टि डाली जाए तो रामजी की अयोध्या को नेपाल में खोजा जाना चाहिए । इस संबंध में उच्च न्यायालय ने स्वामित्व से हटकर फ़ैसला दिया है जबकि स्वामित्व के साथ बाबरी मस्जिद विध्वंस के अपराधियों पर भी निर्णय होना चाहिए था ।

मलिक

नागपुर

अच्छी शुरुआत

'क़ान्ति' माह नवम्बर 2010 के अंक में रामस्वरूप झंवर 'रूपयश' के पत्र को उत्कृष्ठ पत्रों की श्रेणी में मानते हुए उन्हें एक वर्ष तक 'कान्ति' पत्रिका निशुल्क भेजी जाएगी, एक अच्छा प्रयास है । इससे लेखकों का मनोबल बढ़ेगा और वे नये-नये विषयों पर अपने विचार लिखेंगे । इससे 'कान्ति' की लोकप्रियता के साथ-साथ पाठकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी जिससे 'कान्ति' की विचारधारा को

बल मिलेगा ।

अल्लाह की राह पवित्र होती है, यह बात सही है । जब हम में अपवित्रता पैदा होती है तभी हमें यह विचार करना चाहिए कि इसके कुछ न कुछ हमारे भीतर अवशेष ज़रूर हैं जो हमें संकेत दे रहे हैं स्वयं के अपवित्र होने का । ग़ौरतलब बात यह है कि अल्लाह की पवित्रता तो चारों ओर व्याप्त है ऐसे में स्वयं की अपवित्रता का कोई मायने नहीं । परन्तु अपनी योग्यता और ज्ञान से उसे दूर करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए । क्योंकि हमारे भीतर का मैल ही हमें बाहर दिखायी पड़ता है, मार्ग तो पवित्र है उसे आपकी अपवित्रता कम नहीं कर सकती ।

ऐसे में बाहरी पवित्रता को भी शुद्ध बनाये रखने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए जिससे अल्लाह का मार्ग दूषित न हो । यह भी सही है कि अल्लाह के मार्ग को हमारी अपवित्रता कभी दूषित नहीं कर सकती । इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तभी हमारे भीतर की गन्दगी दूर होगी ।

घेवरचन्द गोदीका
जयपुर (राज॰)

ख़त्म हो जाएगा झगड़ा

'कान्ति' का नवम्बर 2010 ई॰ पढ़ा । एकेश्वरवाद और इस्लामी शिक्षाएं दिल में उतर गयीं । चांद ख़ां रहमानी का लेख, ''कौन फैला रहा है साम्प्रदायिकता ?'' पढ़कर आंखें डबडबा गयीं । करता कोई है, भरना मुसलमानों को पड़ता है । अल्लाह सीधा रास्ता दिखाये ।

गर समझ लें लोग मतलब वेद और क़ुरआन का
ख़त्म हो जाएगा झगड़ा सारा हिन्दुस्तान का ।

काफ़ी दिनों से सतीश चन्द्र गुप्ता का कोई लेख पढ़ने को नहीं मिला है । पत्रिका दिन दूनी रात चौगुनी तरक़्क़ी करे ।

महबूब ख़ां
हरदयालपुर, मध्य प्रदेश

अच्छी पत्रिका

फगवाड़ा के डॉ॰ जवाहरधीर के घर से आप द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'कान्ति' उठा लाया, अच्छी पत्रिका लगी । सद्भाव बनाए रखें ।

डॉ॰ रमेश सोबती
फगवाड़ा (पंजाब)

इतिहासकारों का फ़ैसला

लगभग सभी इतिहासकार इस आरोप का खंडन करते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनायी गयी थी । दिल्ली यूनीवर्सिटी के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो॰ रामशरण शर्मा ने अंग्रेज़ी में एक पुस्तक लिखी है, ''साम्प्रदायिक इतिहास और राम की अयोध्या'' । इस किताब में प्रो॰ शर्मा ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का बार-बार खंडन किया है । इस विषय पर प्रो॰ डी॰एन॰ झा, प्रो॰ आर॰एस॰ शर्मा, प्रो॰ सूरजभान और प्रो॰ अतहर अली ने सम्मिलित रूप से एक पुस्तक लिखी है–''रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद–एक ऐतिहासिक रिपोर्ट भारतवासियों के नाम'' । डॉ॰ सुरेन्द्र कौर और डॉ॰ शेरसिंह ने भी सम्मिलित रूप से दो भागों में एक किताब लिखी है–''धर्मनिरपेक्ष सम्राट बाबर'' । इसमें भी बाबरी मस्जिद के बारे में झूठे आरोप का खंडन किया गया है ।

जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी में 24 इतिहासकारों की ओर से एक संयुक्त लेख तैयार किया गया है, जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के आरोप का ज़ोरदार खंडन किया गया है । यह दस्तावेज़ी लेख दिल्ली के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था । ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस ने भी इससे पूरी सहमति जतायी थी ।

कुछ लोग मुग़ल सम्राट ज़हीरुद्दीन बाबर को ज़ालिम हमलावर और मंदिर तोड़ने वाला कहते हैं, जबकि बाबर एक विद्वान और न्यायप्रिय शासक था । इतिहासकारों ने बाबर की न्यायप्रियता, उदारता और धर्मनिरपेक्षता की प्रशंसा की है । डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने भी ''इंडिया डिवाइडेड'' में बाबर की प्रशंसा की है । प्रो॰ श्रीराम शर्मा ने भी अपनी किताब ''मुग़ल अम्पायर इन इंडिया में हुमायूं के नाम बाबर की वसीयत नक़ल की है जिसमें मंदिरों की रक्षा करने को कहा गया है ।

पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट जो इंडियन जर्नल ऑफ़ आर्कियोलोजी में प्रकाशित हुई थी, में भी स्वीकार किया गया है कि खोदायी में बाबरी मस्जिद और उसके आसपास किसी आबादी का संकेत नहीं मिला । अत: वहां रामजी की जन्मभूमि होना और विक्रमादित्य द्वारा वहां राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का दावा निराधार है ।

जी॰ हसनैन कैफ़
भंडारा, महाराष्ट्र

'कान्ति' का दीप जलाया

हिन्दू-मुस्लिम हृदय मिलाया, एक रहें वो पथ दिखलाया
तेल स्नेह का प्यार की बाती, और कान्ति का दीप जलाया ।

रब से रूह का हृदय मिलाया, 'कान्ति' पत्र ने दीप जलाया
मज़हब बैर नहीं सिखलाता, न मज़हब दंगे करवाता ।

मज़हब बनी मशालें हैं वो, जो मानव को पथ बतलाता
इस दर्शन का सार बताया, 'कान्ति' पत्र ने दीप जलाया ।

सियासत ही क़ौमें लड़वाती, मज़हब में है विष फैलाती
नफ़रत के पौधे पनपाती, ज़हरीले कांटे उगवाती ।

ऐसों का दिल दहला करके, 'कान्ति' पत्र ने दीप जलाया
इसमें कुछ बात फ़रिश्तों की है, इंसां-इंसां के रिश्तों की है।

नेकी की है जीत बदी की, इसमें बात शिकस्तों की है
आयत के सागर से अमृत पान कराया, 'कान्ति' पत्र ने दीप जलाया ।

मोहन लाल तंवर

ई-207, शास्त्री नगर, अजमेर (राज०)

गृहमंत्री का 8 सूत्री कार्यक्रम

कुछ लोग यह कहते नहीं थकते कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कश्मीर की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । यह सोच संकुचित और पूर्वाग्रह से ग्रसित लगती है ।

वास्तविकता तो यह है कि जून 2010 से अगस्त 2010 ई० के बीच 110 आम कश्मीरी, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं भारतीय सेना के हाथों मारे गये और इसी के कारण स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी ।

गृहमंत्री पी० चिदम्बरम ने 8 सूत्री कार्यक्रम के तहत वार्ताकारों को कश्मीरी अवाम से बातचीत करने के लिए कश्मीर भेजकर एक साहसिक और सराहनीय क़दम उठाया है । इस समस्या को सुलझाने के लिए सूझ-बूझ वाले ठोस क़दम उठाने की आवश्यकता है ।

नूरजान अंसारी

रांची (झारखंड)

अच्छा अंक

'कान्ति' के अगस्त (2010) अंक में मुझे अन्य आलेखों के साथ एडवोकेट पुष्पा श्रीवास्तव का आलेख अच्छा लगा, वास्तव में मैं भी ऐसे 8-10 मामलों से परिचित हूं, जिनमें एस०सी०/एस०टी० एक्ट तथा दहेज उत्पीड़न के अधिनियम का दुरुपयोग हुआ था । मेरे एक परिचित स्कूल चलाते हैं बेहद शरीफ़ व्यक्ति दो दलित विद्यार्थियों में लड़ाई हुई । एक के बाप ने आकर दूसरे को क्लास से खींचकर मारना शुरू कर दिया । रोकने व धक्का देकर हटाने पर एस०सी० एक्ट लगा दिया गया । समझौते की चर्चा चली तो 5 लाख रुपये की मांग व पूरे परिवार द्वारा (जिसमें 83 वर्षीय परिवार के बुज़ुर्ग भी हैं) हज़ारों की भीड़ के सामने पैर छूने की शर्त रखी गयी । शर्त नहीं मानी गयी, अब परिवार हाईकोर्ट में केस लड़ रहा है ।

अस्तु अंक अच्छा लगा ।

डॉ० रामसनेही लाल शर्मा

86, तिलकनगर, बाईपास रोड, फ़ीरोज़ाबाद-283203

चरित्रहीनता के बढ़ते मामले

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार देश में महिलाओं पर अपराध तथा बलात्कार के मामले बढ़े हैं । ये अपराध मुख्यतः महिलाओं की चरित्रहीनता तथा उनके अनैतिक संबंधों से बढ़ते हैं । चरित्रहीन महिलाएं पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर अपनी दुश्मनी के साथ पुरुषों के मध्य तनाव पैदा करती हैं । ऐसे मामलों में छात्राएं भी उनसे दो क़दम आगे रहती हैं । वे अपने प्रेमियों का शोषण कर अपनी दुश्मनी को बढ़ा लेती हैं । वे चरित्रहीन महिलाओं की तर्ज़ पर अनेकों प्रेमियों से अनैतिक संबंध बनाती हैं । प्रेमियों को तंग किया जाने लगता है । छोटी-छोटी बातों से नाराज़ होना, कई प्रकार से धोखा देकर रुपये ऐंठना, कॉपियां, बैग, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, गहने, मोबाइल तथा महंगी वस्तुओं में टूव्हीलर-कार तक की मांग की जाती है ।

कॉलेज फ़ीस, पार्टियां, पेट्रोल तथा रीचार्ज का व्यय भी वे अपने प्रेमियों से वसूलती हैं, उन पर जबरन प्रेम विवाह का दबाव डाला जाता है, लुटते प्रेमियों को जब वास्तविकता का पता चलता है तब वे उनसे किसी भी प्रकार का बदला लेने से नहीं चूकते, अतएव अनैतिक संबंधों से जुड़े अपराधों को कड़ा बनाया जाना चाहिए, चरित्रहीन महिलाओं, छात्राओं पर अपराध दर्ज होना चाहिए, अभिभावकों को बच्चों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए तथा बड़ी उम्र में फैले अनैतिक संबंधों को विफल करने हेतु उत्तरदायी को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए ताकि उपरोक्त बढ़ते अपराधों को रोका जा सके ।

मलिक

नागपुर

AL-HERA LIBRARY

(Run and Managed by **Sabiha Welfare Trust,** Registration No. 5418/4603)

Near Road No. 10, Main Road, Jawahar Nagar, P.O. Azadnagar,
Mango, Jamshedpur-832110, Jharkhand (INDIA)
E-mail : al_hera_library@sify.com, Mob. : 09334634662, 09204000609

APPEAL

An academic library named **"AL-HERA LIBRARY"** was established in 2004 to uplift the education standard in the downtrodden people of the society. Now it is running under **"SABIHA WELFARE TRUST" Regn. no. 5418/4603, PAN No. AAITS2377J.** This is the only academic library in approx. 8 lakhs populated area, it works progressively and achieving its goal day by day. It was started with 75 books only & after 6 consecutive years it reaches 4656 books. But still it requires your support to fulfill the student's requirements. Apart from that library also works for carrier counseling, AIDS awareness, blood donation, quiz contest etc.

The president of the library received **CMD** (chairman and managing director) award 2006 in the category of **"CORPORATE RESPONSIBILITY"** from Cummins in India held at Pune. Visit **(orkut.com>search>type al hera library).**

Here is the kind request to all of you that please bring your hand forward for this noble cause to serve the students for their glorious future and make our country developed and strong through education.

You are requested to send your donations to :
A/C name : SABIHA WELFARE TRUST
Bank name : STATE BANK OF INDIA
Branch : Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand
A/C no. : 30573132872

May Allah give you returns, Inshallah, Ameen

PRESIDENT
MD. SHAHNAWAZ QUAMAR

हज़रत उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰)

❖ तालिब हाशमी

हाफ़िज़ इब्न हिज्र अस्क़लानी (रह॰) ने 'इसाबा' में और अबू नईम (रह॰) ने 'दलायल' में एक सहाबिया हज़रत उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰) का उल्लेख किया है । हज़रत उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰) हिजरत से पहले ही इस्लाम की आग़ोश में आ चुकी थीं लेकिन उन्होंने हिजरते नबवी के बाद मक्का से मदीना मुनव्वरा की ओर हिजरत करने का गौरव प्राप्त किया । उनके हिजरत की दास्तान स्वयं उन्हीं के शब्दों में :

मैंने अपने भाई के साथ मदीना को हिजरत की । रास्ते में एक जगह मेरे भाई ने मुझ से कहा :

"उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰)! तुम यहां ठहरो, मैं अपना खाने-पीने का सामान मक्का में ही भूल आया हूं, उसे जाकर वापस ले आऊं ।"

मैंने कहा कि मुझे अपने मुशरिक पति से भय है कि वह तुम्हें कोई परेशानी में न डाल दे । मेरे भाई ने कहा, "अल्लाह ने चाहा तो मैं उसके शर (दुष्टता) से सुरक्षित रहूंगा ।"

उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰) कहती हैं कि मैं कई दिनों तक वहां ठहरी रही लेकिन मेरा भाई वापस न आया । एक दिन एक व्यक्ति वहां से गुज़रा जिसको मैंने पहचान लिया । उसने मुझसे पूछा : उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰)! तुम यहां किस लिए बैठी हो । मैंने जवाब दिया, "मैं अपने भाई की प्रतीक्षा में हूं जो कई दिन हुए मुझे यहां बिठा कर मक्का से अपने खाने-पीने का सामान लेने गया है ।

उस व्यक्ति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि अफ़सोस ! तेरे भाई की तेरे पति ने हत्या कर दी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है ।

उसके बाद मैं लंबी यात्रा की परेशानियां झेलती हुई मदीना पहुंच गयी और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुई । उस समय आप (सल्ल॰) वुज़ू कर रहे थे । मैं आप (सल्ल॰) के सामने खड़ी हो गयी और रोते हुए उनसे कहा : "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मेरे भाई की हत्या कर दी गयी है ।"

आप (सल्ल॰) ने मेरी बात सुनकर एक चुल्लू पानी लिया और मेरे चेहरे पर छिड़क दिया ।

हज़रत उम्मे हकीम (रज़ि॰) कहती हैं कि इस घटना के बाद हज़रत उम्मे इसहाक़ (रज़ि॰) को ऐसी तस्कीन हासिल हुई कि उन पर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पड़ती तो भी वे रोती नहीं थीं । यद्यपि उनकी आंखें भीग जाती थीं ।

2. हज़रत हव्वा बिन्त यज़ीद (रज़ि॰)

हज़रत हव्वा बिन्त यज़ीद (रज़ि॰) मदीना मुनव्वरा की रहने वाली थीं । आपका संबंध ख़ानदान औस के बनू अब्दुल अशहल से है । उनका निकाह क़ैस बिन हतीम से

मारूफ़
शू पैलेस
जी॰ई॰ रोड, बस स्टैंड, बी॰एम॰वाई॰
चरौदा, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788-6534786

मक़सूद भाई मोबाइल : 9406090786
एस॰के॰ इंटरप्राइजेज
होल सेल शू मर्चेन्ट
अलंकार कम्पलेक्स के निकट
कैम्प-2, भिलाई, (छत्तीसगढ़)
फ़ोन : 0788 6535786

हुआ । अल्लाह ने हज़रत हव्वा (रज़ि॰) को बहुत ही नेक स्वभाव का बनाया था । हिजरते नबवी से पहले बैअते उक़बा-ए-ऊला और बैअते उक़बा-ए-सानिया के बीच की अवधि में उनके कान दावते तौहीद से अवगत हुए और उन्होंने बिना किसी झिझक के इस्लाम स्वीकार कर लिया ।

उनके पति उस समय तक कुफ़्र और शिर्क के अंधेरों में ही भटक रहे थे । वह हज़रत हव्वा (रज़ि॰) के इस्लाम स्वीकार कर लेने पर अत्यधिक नाराज़ हो गये और उनको तरह-तरह से सताने लगे ।

हज़रत हव्वा (रज़ि॰) नमाज़ पढ़ना चाहतीं तो वह उससे रोकते । सजदा करने लगतीं तो गिरा देते । यहां तक कि मार-पीट से भी बाज़ नहीं आते थे ।

आप (सल्ल॰) को जब हज़रत हव्वा (रज़ि॰) की मज़लूमी का पता चला तो आप (सल्ल॰) अत्यधिक दुखी हो उठे । भाग्य से उसी ज़माने में क़ैस किसी ज़रूरत से मक्का आये । आप (सल्ल॰) ने उनको इस्लाम की दावत दी । उन्होंने यह कहकर मोहलत मांगी कि अभी मैं आपकी दावत पर विचार करना चाहता हूं । आप (सल्ल॰) ने कहा : बेशक तुम ख़ूब सोच-विचार कर लो लेकिन अपनी पत्नी पर इस्लाम लाने के कारण जुल्म न करो और उससे अच्छा सुलूक करो ।

क़ैस बिन हतीम ने आप (सल्ल॰) से वादा किया कि अब मैं अपनी पत्नी हव्वा को नहीं सताऊंगा । मदीना पहुंच कर उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हज़रत हव्वा (रज़ि॰) से अच्छा बर्ताव करने लगे ।

आप (सल्ल॰) को जब यह पता चला कि क़ैस अपना वादा निभा रहे हैं तो आप (सल्ल॰) ने ख़ुशी का इज़हार किया ।

ऐसा समझे जाता है कि क़ैस बिन हतीम ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया होगा । बहरहाल हज़रत हव्वा (रज़ि॰) की गिनती साबिक़ूनुल अव्वलीन की जमाअत में की जाती है ।

3. हज़रत अबू हुमैद साअदी (रज़ि॰) की पत्नी

आप अंसार के किसी क़बीले से थीं और मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुमैद साअदी अंसारी (रज़ि॰) की पत्नी थीं । आपको हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से बहुत ही ज़्यादा अक़ीदत, मुहब्बत और लगाव था । इबादत में हर समय मशग़ूल रहा करती थीं ।

एक बार वे आप (सल्ल॰) की सेवा में हाज़िर हुईं और कहा : ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मेरे मां-बाप आप पर क़ुरबान, मेरा जी चाहता है कि आपके साथ नमाज़ पढ़ा करूं ।''

अल्लाह क़े रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ना पसन्द करती हो । लेकिन तुम्हारा अपने ख़ास कमरे में नमाज़ पढ़ना उससे बेहतर है कि तुम घर के किसी दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ो और तुम्हारा घर के किसी कमरे में नमाज़ पढ़ना उससे बेहतर है कि तुम घर की चारदीवारी के अन्दर (सेहन में) किसी जगह नमाज़ पढ़ो । और तुम्हारा घर की चारदीवारी में नमाज़ पढ़ना उससे बेहतर है कि तुम अपने क़बीले (या मुहल्ले) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ो ।''

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की यह बात सुनकर उन्होंने अपने घर के एक कोने में अपने लिए नमाज़ की जगह बनवायी और जब तक ज़िन्दा रहीं उसी जगह नमाज़ अदा करती रहीं ।

एहतिशाम ख़ान मोबाइल : 09425842976

पब्लिक ट्रैवेल्स

सिवनी से मंडला	प्रातः 7:20
सिवनी से छिंदवाड़ा	प्रातः 7:55
छिंदवाड़ा से बालाघाट	प्रातः10:30
मंडला से सिवनी	दिन 12:50
बालाघाट से सिवनी	सायं 6:00
सिवनी से नैनपुर	सायं 5:40
नैनपुर से सिवनी	दिन 12:20

प्रतिदिन

नोट : शादी व पार्टियों के लिए 33, 40 एवं 50 सीटर बस उपलब्ध है संपर्क करें-

एहतिशाम ख़ान, बस स्टैंड, सिवनी (मध्य प्रदेश)

धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम पहचान

■ डॉ॰ असग़र अली इंजीनियर

बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक व बहुभाषी देशों में प्रजातांत्रिक राजनीति अक्सर धार्मिक, भाषाई, नस्ली व जातिगत पहचानों पर आधारित होती है । यह एक बहुत जटिल मुद्दा है जिसे गहन विचार और विश्लेषण से ही समझा जा सकता है । परन्तु एक बात बहुत साफ़ है कि वोटों पर आधारित किसी भी शासन व्यवस्था में पहचान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । पहचानों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं । पहली हैं वे पहचानें जो जन्म आधारित होती हैं और दूसरी वे जो हम स्वयं बनाते हैं । जन्म आधारित पहचानें भावनात्मक ज्वार पैदा करने में सक्षम होती हैं । बाद में बनायी गयी पहचानें व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ी नहीं रहतीं । हमारी जन्म आधारित पहचानों को हम चुन नहीं सकते । हां अपने जीवन में हम अपनी क्या पहचान बनाएं, यह हम पर निर्भर रहता है ।

अपने ज्ञात इतिहास में भारत हमेशा से बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक देश रहा है । यहां कभी एक संस्कृति या एक धर्म का राज नहीं रहा । बाहर से आये आर्यों, हूणों, शकों, मुग़लों आदि ने भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषायी विविधिता को और बहुरंगी बनाया । ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भी भारत की सांस्कृतिक विविधता को नये आयाम दिये । हर नये प्रवासी, हर नये आक्रमणकारी ने देश की संस्कृति को और समृद्ध किया । ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से आये लोगों ने भारत की संस्कृति पर असर डाला । भारत की संस्कृति से वे भी प्रभावित हुए बिना न रह सके । उनकी पहचानों, प्रथाओं व परंपराओं पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा । यही कारण है कि आज हम भारतीय इस्लाम या भारतीय ईसाई धर्म की बात करते हैं । परंतु इस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे । इस लेख में हमारी विषयवस्तु है आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लामी पहचान और राजनीति । इस विषय का ऐतिहासिक पहलू तो है ही ब्रिटिश राज ने इसमें कई नयी समस्याएं व जटिलताएं पैदा कर दी हैं ।

इस्लाम, भारत में उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं से आया । दक्षिण भारत में वह अरब व्यापारियों के ज़रिये आया । इस्लाम के प्रादुर्भाव के पहले से ही, अरब देशों व केरल (मालाबार) के बीच व्यापारिक रिश्ते थे । यह व्यापार, इस्लाम के आगमन के बाद भी जारी रहा । कई अरबी व्यापारियों ने स्थानीय स्त्रियों से विवाह कर लिया । इन महिलाओं ने इस्लाम अपनाया और इस तरह केरल में इस्लाम का प्रसार होने लगा । केरल में देश की सबसे पुरानी मस्जिद है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका निर्माण पवित्र पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के एक सहाबी (साथी) मलिक दीनार ने करवाया था ।

उत्तर में इस्लाम मुहम्मद बिन क़ासिम के हमले के साथ भारत आया । ऐसा कहा जाता है कि मुहम्मद बिन क़ासिम ने यह हमला, सिंध के राजा दहीर को सबक़ सिखाने के लिए किया था क्योंकि दहीर ने उन लुटेरों को मुहम्मद बिन क़ासिम को सौंपने से इन्कार कर दिया था जिन्होंने कुछ अरबी व्यापारिक नौकाओं को लूटा था । राजा दाहिर की हार हुई और मुहम्मद बिन क़ासिम, सिंध में इस्लाम की विरासत छोड़ गया । जिस तरह दक्षिण में केरल, भारत का पहला इस्लामिक केन्द्र था उसी तरह उत्तर में सिंध देश का पहला वह स्थान था जहां इस्लाम पहुंचा । सिंध धीरे-धीरे समृद्ध साझी सभ्यता व संस्कृति का केन्द्र बन गया । सूफ़ी इस्लाम का सबसे ज़्यादा प्रभाव सिंध पर ही पड़ा ।

मुहम्मद बिन क़ासिम के बाद उत्तर भारत पर तुर्कों और अनेक मध्य एशियाई आक्रांताओं ने हमले किये । हर मुस्लिम आक्रांता अपने साथ अपनी अलग संस्कृति लेकर आया । ग़ौरी, ग़ज़नवी, ख़िलजी, तुग़लक़, लोदी आदि अलग-अलग संस्कृति व भाषाई पृष्ठभूमि से आये थे । वे सत्ता की ख़ातिर एक-दूसरे से लड़ते-भिड़ते रहते थे । इस तरह यह साफ़ है कि शुरुआती दौर से भारतीय मुसलमान एकसार नहीं थे । न तो उनकी संस्कृति समान थी और न ही भाषा ।

यह दिलचस्प है कि तुर्की, अरबी व फ़ारसी के साथ कुछ उत्तर भारतीय भाषाओं जैसे मैथिली, खड़ी बोली, पूरबी व संस्कृत (जो सामान्यजनों की भाषा नहीं थी व केवल

हिन्दू धार्मिक विद्वानों तक सीमित थी, के सम्मिश्रण से एक नयी भाषा उभरी जो उर्दू कहलायी । कुछ ही पीढ़ियों में उर्दू, श्रेष्ठ वर्ग की प्रिय भाषा बन गयी । आज उत्तर में उर्दू मुसलमानों की पहचान का भाग और सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के लिए एक मुद्दा बन गयी है । उत्तर भारत में एक नयी, मिलीजुली संस्कृति उभरी जिसे गंगा-जमुनी तहजीब का नाम दिया गया । यह साझा संस्कृति विरासत कम से कम शहरी अभिजात्य वर्ग के मामले में हिन्दुओं व मुसलमानों दोनों की पहचान बन गयी ।

भारत की इस साझा संस्कृति ने कई महान संगीतज्ञों, चित्रकारों, वास्तुविदनों व कवियों को तो जन्म दिया ही, उसने धार्मिक सहिष्णुता को भी जन्म दिया । परन्तु साम्राज्यवादी दौर में उभरी साम्प्रदायिक राजनीति ने हिन्दुओं व मुसलमानों की साझा संस्कृति के बजाय उनके धर्मों के बीच अन्तर पर ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया । धर्म को संस्कृति से अधिक महत्व दिया जाने लगा और गलाकाट राजनैतिक प्रतिस्पर्धा ने श्रेष्ठि वर्ग की जीवनशैली व संस्कृति की एकरूपता पर कुप्रभाव डाला । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जन्म आधारित पहचानें निश्चित व अपरिवर्तनीय होती हैं व इसलिए व्यक्ति को सुरक्षा व स्थायित्व का आभास कराती हैं । तुलनात्मक रूप से, सांस्कृतिक पहचान की प्रकृति कहीं अधिक जटिल होती है । यद्यपि एक दृष्टि से सांस्कृतिक पहचान भी जन्म आधारित होती है तथापि उसमें परिवर्तन आते रहते हैं । संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती । उदाहरणार्थ, भारत मुस्लिम राजवंशों के राज करना शुरू करने के बाद, भारतीय संस्कृति में बदलाव आने लगे । मुग़लों के आने के बाद संस्कृति का फ़ारसीकरण हो गया । फ़ारसी संस्थाओं, भाषा, व्यंजनों आदि को प्रमुखता मिलने लगी ।

इसी तरह ब्रिटिश शासन में शहरी श्रेष्ठ वर्ग ने अंग्रेज़ी भाषा के साथ-साथ ब्रिटिश जीवनशैली भी अपना ली । ब्रिटिश शासन के साथ भारत में नयी राजनैतिक व सामाजिक अवधारणाएं, आधुनिक सोच व नयी वैज्ञानिक तकनीकें भी आयी परन्तु भारत के आमजनों के लिए ब्रिटिश शासन, मुग़लों के शासन की तुलना में कहीं अधिक दुखदायी था । मुग़ल राजवंश, भारतीय संस्कृति में घुल-मिल गये थे । उन्होंने हिन्दू सामंती व श्रेष्ठ वर्ग से संबंध स्थापित कर लिए थे । उन्हें बाहरी नहीं समझा जाता था । वे भारतीय संस्कृति व समाज का हिस्सा बन गये थे ।

ब्रिटिश शासकों ने ऐसा नहीं किया । वे स्वयं को भारतीयों की अपेक्षा अधिक सभ्य व सुसंस्कृत मानते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे । भारतीय भी अंग्रेज़ों को विदेशी मानते थे और उनके शासन को गुलामी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चले राजनैतिक संघर्ष को गुलामी से मुक्ति का संघर्ष ही माना जाता था । यह मुस्लिम शासन व ब्रिटिश शासन के बीच मूल व महत्वपूर्ण अन्तर था ।

यह भी सच है कि ब्रिटिश भारत के हिन्दुओं व मुसलमानों को एक-दूसरे से दूर किया । दोनों समुदायों के साम्प्रदायिक तत्व अपनी-अपनी अलग पहचान पर ज़ोर देने लगे । हिन्दू फ़िरक़ापरस्तों ने भारत की गुलामी की अवधि को एक हज़ार साल तक खींच डाला और मुग़लकाल को भी उसमें शामिल कर लिया । ब्रिटिश काल और उसके पूर्व के भारत में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि ब्रिटिश काल के पहले तक सत्ता केवल तलवार के बल पर हासिल की जा सकती थी । साम्राज्यवादी काल में कई नये राजनैतिक संस्थान व संगठन अस्तित्व में आये और तलवार का स्थान, मताधिकार ने लिया । यद्यपि यह मताधिकार अत्यंत सीमित था परन्तु फिर भी वोट उगाहने के लिए धार्मिक पहचानों का उपयोग होने लगा । बड़ी चालाकी से अंग्रेज़ों ने धार्मिक पहचान को नेपथ्य से मंच पर ला दिया । सांस्कृतिक व क्षेत्रीय पहचानें जो अधिक महत्वपूर्ण थीं, का स्थान धार्मिक पहचान ने ले लिया ।

हिन्दू व मुस्लिम श्रेष्ठ वर्ग अपनी-अपनी धार्मिक पहचान के नाम पर अपना हिस्सा मांगने लगे । सभी राजनीतिज्ञ, यद्यपि इस सोच के नहीं थे । राजनैतिक श्रेष्ठ वर्ग का एक हिस्सा यह अच्छी तरह से समझता था कि भारत बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक देश है और भारत तभी एक रह सकता है जब हिन्दू व मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों से लड़ें । उन्हें इस बात का भी एहसास था कि स्वतंत्र भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बनना होगा ।

यह महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश काल में धर्म का राग अलापने वालों के लिए भी धर्म महत्वपूर्ण नहीं था । महत्वपूर्ण था सत्ता पर क़ाबिज़ होना । पढ़े-लिखे वर्ग की रुचि धार्मिक मसलों में कम, सत्ता पाने में अधिक थी । धार्मिक पहचान की राजनीति ने आगे जाकर एक ख़तरनाक मोड़ ले लिया । दूसरी ओर देवबंद के उलेमा के नेतृत्व में मुस्लिम धार्मिक वर्ग ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को स्वीकार किया । देवबंद के उलमा ने देश के विभाजन का विरोध किया और हिन्दू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया । जमीअत उलमा-ए-हिन्द के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक पुस्तिका लिखी जिसका शीर्षक था मुत्तहिदा क़ौमियत और इस्लाम (साझा राष्ट्रवाद और इस्लाम) जिसमें उन्होंने कुरआन और हदीस के आधार पर साझा राष्ट्रवाद का समर्थन किया और मुस्लिम लीग के मुसलमानों के अलग राष्ट्र होने के दावे को ग़लत ठहराया ।

पढ़े-लिखे वर्ग व धार्मिक वर्ग की सोच में यह अन्तर इसलिए था कि जहां शिक्षित वर्ग की प्राथमिकता सत्ता पाना था वहीं धार्मिक नेता केवल आज़ाद भारत चाहते थे ऐसा आज़ाद भारत जिसमें वे बिना किसी रोकटोक या डर के अपने धर्म का पालन कर सकें । भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता व मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है । संविधान, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार भी देता है जिनमें शामिल हैं स्वयं के सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना का अधिकार व अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा व प्रसार करने का अधिकार (अनुच्छेद 30) ।

भारत में अल्पसंख्यकों ने अपने शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किये हैं । ऐसा ही एक संस्थान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी । इन संस्थान का बहुसंख्यक चरित्र बनाए रखने के लिए मुसलमानों को लंबी व कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी । इसी तरह उर्दू के भी बुरे दिन आ गये हैं । स्वतंत्रता के पहले तक, उत्तर भारत में उर्दू को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था वह धीरे-धीरे ख़त्म हो गया । उर्दू का स्थान देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी ने ले लिया ।

यद्यपि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीअत क़ानून) से छेड़छाड़ नहीं की गयी तथापि हिन्दू दक्षिणपंथी ताक़तें लगातार समान नागरिक संहिता की बात उठाती रही हैं और इसे मुसलमान अपनी पहचान के लिए ख़तरा मानते हैं । धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम बुद्धिजीवी भी यह स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र भारत में इस्लामिक पहचान, भावनात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है । मौलाना आज़ाद व ज़ाकिर हुसैन के बाद कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं हुआ जिसकी पूरे देश में प्रतिष्ठा व सम्मान हो । उल्टे, मुस्लिम नेताओं ने भावनात्मक मुद्दों का दोहन करने की कोशिश की और इस प्रयास में हिन्दू फ़िरक़ापरस्तों को और मज़बूत किया ।

नेहरू जैसे सम्मानित, लोकप्रिय व प्रतिबद्ध नेता भी स्वतंत्रता के बाद के भारत में साम्प्रदायिक दंगे नहीं रोक सके । इनसे मुसलमानों में असुरक्षा का भाव पनपा । स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा साम्प्रदायिक दंगा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सन 1961 में हुआ था । नेहरू जी को क़तई अपेक्षा नहीं थी कि स्वतंत्र भारत में इतने भीषण दंगे होंगे और जबलपुर दंगे ने उन्हें बहुत व्यथित किया । वे आदर्शवादी थे और मानते थे कि स्वतंत्र भारत की जनता, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की स्वयं ही रक्षा करेगी । परन्तु ऐसा नहीं हुआ ।

इसके पीछे कई कारण थे । यद्यपि कांग्रेस, सिद्धांततः धर्मनिरपेक्ष थी परन्तु स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही हर क़िस्म के तत्वों ने कांग्रेस में घुसपैठ कर ली थी । इनमें से कुछ ही धर्मनिरपेक्षता के प्रति असंदिग्ध प्रतिबद्धता रखते थे । यहां तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी ऐसे दक्षिणपंथी हिन्दू विचारधारा वाले लोग थे जो अल्पसंख्यकों से मन ही मन चिढ़ते थे । मध्य व निचले स्तर पर तो ऐसे तत्वों की भरमार थी । ऐसा कहा जाता है कि जबलपुर में शांति स्थापना के लिए नेहरू के दूत के रूप में मध्य प्रदेश पहुंची सुभद्रा जोशी से तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू ने काफ़ी उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया था ।

इसके अतिरिक्त देश के विभाजन के उत्तर भारत के हिन्दुओं के मन में मुसलमानों के प्रति काफ़ी कटुता पैदा कर दी थी । वे सभी मुसलमानों को विभाजन के लिए ज़िम्मेदार मानते थे । यहां तक कि उनमें से कुछ यह मानते थे कि चूंकि मुसलमानों ने अपना अलग देश ले लिया है इसलिए उन्हें भारत में रहने का कोई हक़ नहीं है । जनसंघ यह बात काफ़ी लंबे समय तक कहता रहा । कई धर्मनिरपेक्ष हिन्दू भी ऐसा ही मानते थे । तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र भारत में पाठ्य-पुस्तकों में अपेक्षित सुधार नहीं किये गये । ये पुस्तकें वहीं पढ़ती रही जो हमारे ब्रिटिश शासक हमें पढ़ाना चाहते थे । ये पुस्तकें आज भी ज़हर फैला रही हैं । वे बालमनों में यह भर रही हैं कि मुसलमान हमेशा से हिन्दुओं को घृणा की दृष्टि से देखते आ रहे हैं और उन्होंने हिन्दुओं के सैकड़ों मंदिर नष्ट किये हैं । हर चुनाव, धार्मिक व जातिगत मुद्दों पर लड़ा जाता है और हर चुनाव के बाद साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद और मज़बूत होकर उभरते हैं ।

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)



एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 93 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 14 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें-उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

.....में अपनी रक़म भेज सकते हैं.....

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें.-THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

.....चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता.....

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKIN GA/C NO.: 300402010010581

☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

अंग्रेज़ और कर्नाटक के नवाब

■ पं॰ सुन्दरलाल

वेल्सली ने पत्र में लिख भेजा कि–"मौजूदा नवाब के जीते जी इस तरह के मौक़े की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है । आगे चलकर इसी पत्र में वेल्सली ने लिखा–

"मुझे पूरा विश्वास है कि उस देश की मुसीबतों का कभी कोई पक्का इलाज नहीं हो सकता, जब तक कि हम नवाब से कम से कम उसी तरह के विस्तृत अधिकार प्राप्त न कर लें, जिस तरह के कि कंपनी को हाल में तंजौर की संधि द्वारा प्राप्त हुए हैं । मौजूदा नवाब के मरने के बाद मुमकिन है कि उसके उत्तराधिकारी के साथ इस तरह की संधि आसानी से की जा सके, (बशर्ते कि इस नवाब के बाद भी यह मुनासिब समझा जाए कि कंपनी के अलावा कर्नाटक का नाम मात्र का नरेश कोई दूसरा बना रहे)। मौजूदा नवाब के मरने पर उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करने का सारा सवाल पूरी तरह कंपनी के फ़ैसले के लिए खुला होगा । मेरी इस समय राय यह है कि सबसे मुनासिब यह होगा कि उस शख़्स को, जो नवाब उमदतुल उमरा का बेटा माना जाता है, गद्दी पर बैठा दिया जाए और उसके साथ उसीतरह की संधि कर ली जाए जिस तरह की हाल में तंजौर के राजा के साथ की गयी है । तो भी मुनासिब है कि आप फ़ौरन यह भी सोच रखें कि क्या यह अधिक पक्का प्रबंध न होगा कि हम वालाजाह और उमदतुल उमरा के वंश की हर शाख़ के लिए गुज़ारे का काफ़ी प्रबंध कर दें और नाम तथा काम, दोनों की दृष्टि से कर्नाटक देश का राजा कंपनी ही को बना लें ।"

किंतु संसार को दिखाने के लिए भी कोई बहाना लेना ज़रूरी था । इसलिए वेल्सली ने इस पत्र में लिखा–

"श्रीरंगपट्टन पर क़ब्ज़ा करने के बाद परलोकवासी टीपू सुल्तान के जो पत्र आदि हमारे हाथ आये हैं, उनसे मुझे अत्यंत प्रामाणिक और अकाट्य शहादत इस बात की मिल गयी है कि पिछले नवाब वालाजाह ने अपने जीवन के अंत के दिनों में मौजूदा नवाब उमदतुल उमरा की मारफ़त टीपू सुल्तान के साथ इस तरह का गुप्त पत्र-व्यवहार शुरू किया था जिससे ब्रिटिश सत्ता की ओर उनकी गहरी शत्रुता साबित होती है ।"

विश्वस्त अंग्रेज़ इतिहास लेखकों की राय

कम से कम दो योग्य अंग्रेज़ इतिहास लेखकों ने मुहम्मद अली और उमदतुल उमरा के चरित्र, टीपू के साथ उनके 30 साल के संबंध, उस समय की तमाम स्थिति और जांच कमीशन की गवाहियों, सब की पूरी तरह जांच करके यह साफ़ राय ज़ाहिर की है कि मुहम्मद अली और टीपू के "गुप्त पत्र-व्यवहार" का यह सारा क़िस्सा जाली और झूठा था । इनमें इतिहास लेखक मेजर ईवांस बेल का कहना है–

"हमसे आशा की जाती है कि हम इस बात पर विश्वास कर लें कि जो नवाब वालाजाह पचास साल तक अंग्रेज़ों का वफ़ादार दोस्त और मददगार रह चुका था, जो तीस साल तक हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ क़रीब-क़रीब लगातार युद्ध कर चुका था और जिसे नुक़सान पहुंचाने और नीचा दिखाने का कोई मौक़ा इन दोनों ने और ख़ासकर टीपू ने हाथ से जाने नहीं दिया था । उस वालाजाह को एकाएक बुढ़ापे में जाकर अपने तीस साल के पुराने

POSTAL LIBRARY

जीवन ज्योति केन्द्र

पोस्टल लाइब्रेरी



Bainy Singh Ki Talaiya
Gohalpur, Jabalpur-482002
Mob. : 9300929747, 9300101373

शत्रुओं से मिलकर अपने आधी शताब्दी के दोस्तों के विरुद्ध साज़िश करने की सूझी । और हम से इस बात पर भी विश्वास कर लेने के लिए कहा जाता है कि बूढ़े नवाब ने अपने इस तरह अचानक रुख़ बदलने के लिए ठीक यही समय चुना जबकि उसके दोस्तों की ताक़त इतनी पक्की जम चुकी थी कि ज़ाहिरा कोई उनका मुक़ाबला करने वाला न रहा था और जबकि उसके पुराने दुश्मन का बल यहां तक चूर हो चुका था कि उसके उभरने की कोई आशा न थी । वालाजाह और उमदतुल उमरा पर इलज़ाम यह है कि उन्होंने टीपू के साथ ये साज़िशें लार्ड कार्नवालिस के युद्ध के बाद सन 1792 में शुरू कीं, जबकि टीपू विवश होकर अपना आधा राज दे चुका था, जबकि उसे तीन करोड़ तीस लाख रुपये युद्ध दंड देना पड़ गया था और अपने दो बेटों को बतौर बंधकों के मदरास भेजने की ज़िल्लत सहनी पड़ी थी । और कहा जाता है कि अपने विजयी दोस्तों और मददगारों के विरुद्ध अपने पराजित शत्रु के साथ मिलकर नवाबों ने यह जी तोड़ साज़िश टीपू के उन दो नौकरों की मारफ़त की जो इन दोनों शहज़ादों की हमराही में मदरास भेजे गये थे ।

''इस तरह की साज़िश की कहानी निस्सन्देह अत्यंत अनहोनी तो मालूम होती ही है । फिर भी यदि उसके लिए काफ़ी सबूत होता तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ता । किन्तु कोई भी विश्वास योग्य गवाही पेश नहीं की गयी । इतना ही नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान के दोनों वक़ीलों, गुलाम अली और अली रज़ा ने अपनी मद्रास से लिखी हुई रिपोर्टों में जो श्रीरंगपट्टन के काग़ज़ों में पायी गयी, और जांच कमीशन के सामने बयानों में जितनी बातें कही हैं वे सब की सब यदि सच मान ली जाएं तो भी उनसे किसी तरह की साज़िश साबित नहीं होती । जांच कमीशन ने वालाजाह और उसके सबसे बड़े बेटे के ख़िलाफ़ गुप्त साज़िशों और दुश्मनी के इरादों के अनेक सबूत जमा किये । इन सब सबूतों को यदि सच भी मान लिया जाए तो भी वास्तव में वे इतने तुच्छ हैं कि यदि लॉर्ड वेल्सली के दिल में कर्नाटक के शासन को हाथ में लेने का कोई न कोई बहाना ढूंढ़ निकालने का प्रबल इच्छा न होती–और हम लॉर्ड वेल्सली के पहले प्रयत्नों से जानते हैं कि उसमें यह प्रबल इच्छा मौजूद थी–तो हमें इस बात पर आश्चर्य होता कि उसने गप्पों और अन्दाजियों बातों के इस तमाम ढेर को अपने रद्दी की टोकरी में क्यों नहीं फेंक दिया ।''

इतिहास लेखक जेम्स मिल ने इससे भी अधिक योग्यता, निष्पक्षता और परिश्रम के साथ इस तमाम मामले की विवेचना की है और अंत में साबित किया है कि कर्नाटक के नवाबों के विरुद्ध यह तमाम इल्ज़ाम झूठा था । जब तक नवाब उमदतुल उमरा ज़िन्दा रहा, वेल्सली ने कभी उसके सामने इस 'गुप्त पत्र-व्यवहार' के क़िस्से को पेश न किया और न उसे इसकी कोई ख़बर तक होने दी । चुपचाप वह उमदतुल उमरा के मरने का इन्तिज़ार करता रहा ।

नवाब की मृत्यु और अंग्रेज़ों का सुअवसर

जुलाई 1801 के शुरू में ख़बर मिली की नवाब कर्नाटक की मृत्यु होने वाली है । बूढ़ा नवाब उस समय चिपौक के महल में था । 5 जुलाई 1801 को कर्नल मैकनील कंपनी की सेना सहित महल की ओर बढ़ा, और यह कहकर कि नवाब की मृत्यु के बाद लड़ाई-झगड़े का डर है और अमन क़ायम रखने की ज़रूरत है, उसने चारों ओर से महल को घेर लिया । यह वही सेना थी जो नवाब के ख़र्च पर नवाब की रक्षा के लिए नवाब के इलाक़े में रखी गयी थी । जिस समय इस सेना ने महल के भीतर घुसना चाहा और मृत्यु-शैया पर पड़े हुए नवाब के कानों तक ख़बर पहुंची तो नवाब चौंक पड़ा और पास के एक अंग्रेज़ अफ़सर से गिड़गिड़ा कर कहने लगा–''महल के अन्दर घुस

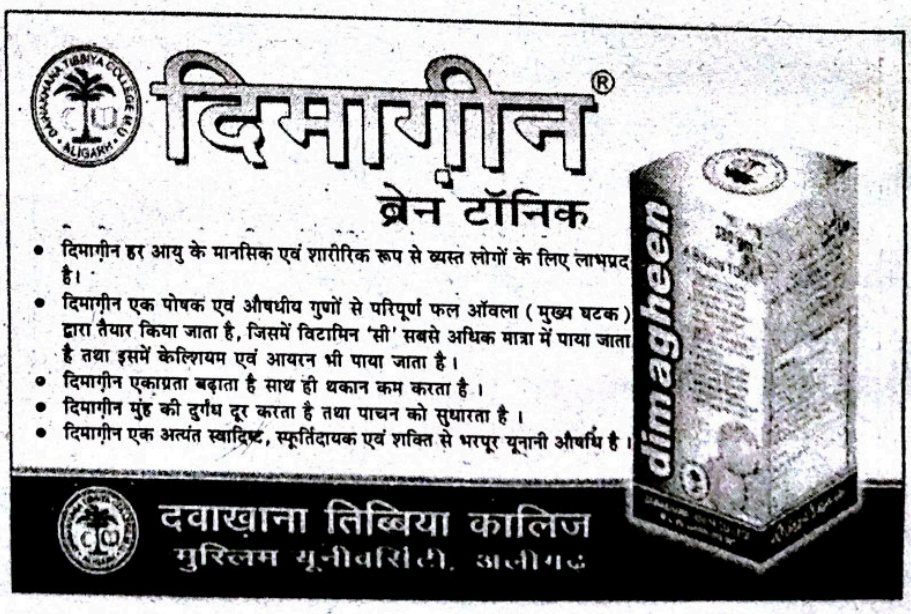

कर मुझे मेरी रिआया की नज़रों में न गिराइए !'' 5 जुलाई से 15 जुलाई तक कंपनी की सेना ने महल को घेरे रखा । 15 जुलाई को नवाब उमदतुल उमरा की मृत्यु हुई । अंत तक अंग्रेज़ अफ़सर बूढ़े नवाब के पास रहे और उसे अपनी मित्रता का विश्वास दिलाते रहे ।

उमदतुल उमरा का बेटा शहज़ादा अली हुसैन भी उसी महल में था । जिस दिन उमदतुल उमरा का शरीर छूटा उसी दिन कर्नाटक की गद्दी के वारिस, शहज़ादे अली हुसैन को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर लाकर अंग्रेज़ों ने अचानक उसे यह सूचना दी कि तुम्हारे बाप और दादा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैदर और टीपू के साथ गुप्त पत्र-व्यवहार किया था इसलिए गो तुम्हें उसका कोई पता नहीं, फिर भी गवर्नर जनरल का फ़ैसला है कि अपने बाप की गद्दी पर बैठने के बजाय तुम एक मामूली रिआया की हैसियत से अपनी बाक़ी ज़िन्दगी व्यतीत करो । शहज़ादे को डरा कर उससे कहा गया कि तुम तंजौर की संधि की तरह की एक संधि पर दस्तख़त कर दो । ख़ेमो के अन्दर शहज़ादे अली हुसैन और अंग्रेज़ अफ़सरों में बातचीत हो रही थी और बाहर कंपनी के सिपाही नंगी तलवारें लिए फिर रहे थे । इतने पर भी अली हुसैन ने न माना ।

कर्नाटक की नवाबी का अंत

इसके बाद अली हुसैन को अलग करके और बीच के कई हक़दारों को छोड़कर अली हुसैन के एक दूर के रिश्तेदार, आज़मुद्दौला से अंग्रेज़ों ने वहीं पर बातचीत शुरू की । आज़मुद्दौला ने अंग्रेज़ों की बात मान ली । 28 जुलाई 1801 को आज़मुद्दौला कर्नाटक की गद्दी पर बैठा दिया गया । जिस तरह की संधि अंग्रेज़ों ने चाही उसी तरह की संधि पर आज़मुद्दौला ने दस्तख़त कर दिए । इस संधि के अनुसार कर्नाटक का सारा राज कंपनी के हाथों में आ गया और आज़मुद्दौला केवल राजधानी अरकाट और चिपौक के महल का नवाब रह गया ।

शहज़ादे अली हुसैन की हत्या

नये नवाब को चिपौक के महल में रखा गया । उसी महल में शहज़ादे अली हुसैन और उसकी विधवा मां को क़ैद कर दिया गया । शहज़ादे ने कई बार अंग्रेज़ों से प्रार्थना की कि मुझे किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए, नहीं तो डर है कि नया नवाब किसी रोज़ मुझे ख़त्म कर देगा, किन्तु सुनवाई न हो सकी । चन्द रोज़ बाद ही एक दिन कहा जाता है कि पेचिश से शहज़ादे अली हुसैन की मृत्यु हो गयी । मालूम होता है कि यह वही पेचिश थी जिससे 36 साल पहले लार्ड क्लाइव के ज़माने में मुर्शिदाबाद के नवाब नज़मुद्दौला की मृत्यु हुई थी । 17 मई 1808 को इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के सामने शहज़ादे अली हुसैन की मृत्यु के संबंध में बोलते हुए सर टॉमस टरटन ने कहा–''मुझे विश्वास है कि इस मामले में कुछ न कुछ दग़ा अवश्य थी ।''*

पहले की तरह इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के सामने कर्नाटक का सारा मामला पेश किया गया । काफ़ी भेद खोले गये । वेल्सली के विरुद्ध और नवाब के पक्ष में ज़ोरदार भाषण हुए । एक मेम्बर ने टीपू और मुहम्मद अली की साज़िश की ओर संकेत करते हुए कहा कि–''सहज विश्वासी भोली जनता को धोखा देने का इससे अधिक वीभत्स प्रयत्न मैंने कभी नहीं सुना ।'' फिर भी अन्त में इस खुली राजनैतिक डकैती के लिए वेल्सली की सराहना का एक प्रस्ताव पास हुआ ।

---

*Lord Mornington's letter to Right Hon'ble Henry Dundas, Wellesley's Despatches, vol. ii, pp. 244-246.

*"...something unfair in this transaction...he believed there was."–Sir Thomas Turton before British Parliament, 17th May 1808.

Niyaz Ahmed
Tel. : 2292062 (S)
M. : 98261-29877

Hosiery Centre

Wholeseller

Readymade & Handloom

B/43 Uttar Gangotri, Supela, Bhilai, Durg (C.G.)

विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश

❖ पुष्पा श्रीवास्तव

प्रकृति का जितना विनाश पिछली सदी में किया गया है उतना कई हज़ार सालों में नहीं हुआ होगा । जल, जंगल, ज़मीन व आसमान सब का विनाश किया गया है । और तो और एवरेस्ट पर्वत पर भी कचरों के ढेर लगा दिये गये हैं । लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करना कोई मज़ाक़ नहीं है । हम जिस तरह के क़दम विकास के नाम पर उठा रहे हैं, उससे हमें क़ुदरत के प्रकोप से दोचार भी होना पड़ रहा है । प्रकृति पर विजय पाने की चाह में हमने अनेक अविष्कार तो किये मगर विकास की चरम सीमा तक आते-आते प्राकृतिक आपदाओं ने हमें फिर ज़मीन पर ला पटका । जब हम इस हरी-भरी वसुंधरा के तन को बुरी तरह मलिन कर रहे हैं । अपने जन-जीवन को प्रदूषित कर रहे हैं ।

■ सबसे पहले हम पानी को लेते हैं । यूं तो धरती पर पानी की कोई कमी नहीं । धरती का 2/3 भाग तो समुद्र ही है । इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं जो बर्फ़ से ढके रहते हैं । पृथ्वी के गर्भ में भी जल है । इतना पानी होने के बावजूद इसका सिर्फ़ एक प्रतिशत जल ही मानव उपभोग व उपयोग के लिए उपयुक्त है लेकिन पेय जल के दुरुपयोग से आज अनेक जगह जल-संकट खड़ा हो गया है । समस्त विश्व में भूमिगत जल-स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है । बताया गया है कि सन 2020 तक पृथ्वी के अनेक भागों, ख़ासतौर पर उत्तरी अमेरिका और अफ़्रीक़ा सहित एशिया में भूमिगत जल का भीषण संकट उत्पन्न होगा । भारत में तो और भी भयावह स्थिति होगी । भारतीय जल निगम के अनुसार 2025 तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों में भूगर्भीय जल समाप्त हो सकता है । चिंता का विषय यह है कि पेयजल का सबसे अधिक दुरुपयोग हम अपने दैनिक कार्यों जैसे नहाने, कपड़े धोने और शौचालयों में कर रहे हैं । आधुनिक जीवनशैली में वॉश बेसिन, स्नान-टब, फ्लश शौचालयों आदि में पानी की बर्बादी अधिक हो रही है ।

■ आख़िर मनुष्य को अपने उपयोग के लिए कितना पानी चाहिए ? औसतन यदि देखा जाए तो एक व्यक्ति को पीने एवं भोजन बनाने हेतु प्रतिदिन पांच से सात लीटर पानी की आवश्यकता होती है । इसके अलावा चालीस से पचास लीटर पानी दैनिक कार्यों के लिए ज़रूरी होता है । जबकि हो यह रहा है कि ज़रूरत से तीन गुना यानी 120 से 150 लीटर पानी का अपव्यय किया जा रहा है । इसमें से अधिकांश पानी जल-मल के रूप में नदियों में चला जाता है जिससे नदियां भी बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है ।

■ अब आगे लीजिए पीने के पानी का एक बड़ा हिस्सा हम कृषि और उद्योगों में भी ख़र्च कर देते हैं । वहां भी जल की बहुत बर्बादी होती है । एक टन चावल उत्पादन के लिए 2 हज़ार टन पानी की आवश्यकता होती है लेकिन हम सिंचाई में इसका दस गुना अधिक यानी 20 हज़ार टन पानी



ख़र्च कर देते हैं । इस पानी में फ़सलों में डाले उर्वरक और कीटनाशक मिल रहे हैं जो भूगर्भ और नदी-तालाबों के पानी को और प्रदूषित कर देते हैं ।

■ कागज़, कपड़ा, चमड़ा, रसायन तेल शोधक व ताप बिजली घर ऐसे उद्योग हैं जिनमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और वहां पेय जल ही ख़र्च हो रहा है । एक टन लोहे तथा अल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए हमें खदान से कारख़ाने तक दो लाख लीटर पानी ख़र्च करना होता है । 1940 से 1980 के बीच दुनिया में पानी का उपयोग दो गुना हो गया है । आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होने वाली है ।

■ पानी के बाद हम मिट्टी पर आते हैं । वसुंधरा का तन (मिट्टी) लगातार छीज रहा है, प्रदूषित हो रहा है । धरती जो सबका पालन करती है ख़ुद संक्रामक हो गयी है । अगर यही होता रहा तो इसके सभी जीव-जन्तु मर जाएंगे । आप ख़ुद सोचिये-मिट्टी से पेड़-पौधे उजड़ते जा रहे हैं । जीवनदायिनी नदियां विषाक्त हो गयी हैं और सूखती जा रही हैं । कुछ पशु-पक्षी तो इसी कारण लुप्त हो चुके हैं । मानव भी अकारण प्राकृतिक आपदाओं को झेलता बीमार होने को अभिशप्त हो चुका है । हमने भूमि का ऐसा कुप्रबंधन कर डाला है कि 30 से 50 प्रतिशत भूमि ख़राब हो चुकी है । भूक्षरण में कल्पनातीत वृद्धि हुई है । कृषि के उन्नत तरीक़ों को अपनाने से भूमि की उर्वरा शक्ति तेज़ी से घटी है । खेती के लिए पिछले तीन दशकों में हमने वनों का भी बहुत अधिक विनाश कर डाला है । इससे धरती छीजने लगी है । प्रति वर्ष 60 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए बेकार हो रही है ।

■ जिस तरह से भूमि छीजती जा रही है उसमें प्रति हेक्टेयर 2000 टन अच्छी मिट्टी डालने या 50 टन पशुओं की सड़ी, सूखी खाद डालने पर जितना ख़र्च आता है, उससे अधिक ख़र्च करने पर भी भूक्षरण के कारण हुई क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता । एक बार जिस भूमि से भूक्षरण हो जाता है उसे दोबारा वैसा उपजाऊ बनाना असंभव है । एक टन खेती योग्य मिट्टी में 4 किलो नाइट्रोजन, एक किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटैशियम और 2 किलो कैल्शियम हो सकता है । भूक्षरण से उन तत्वों में कमी आ जाती है । इसके अलावा एक बहुत बड़ी क्षति और होती है जैव पदार्थों में कमी की । ये जैव पदार्थ मिट्टी में पानी के रिसने, जल-धारण, धनायन, विनिमय क्षमता और भूमि की संरचना सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

मानव की आवश्यकता तेज़ी से बढ़ती जा रही है । उद्योग, संचार, रेलवे के लिए भूमि की आवश्यकता हुई तो जंगल तेज़ी से काटे गये । खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने पर वन नष्ट हुए । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछली सदी के शुरुआत में धरती पर 700 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन थे । 1975 तक यह घटकर 290 करोड़ हेक्टेयर रह गये । सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वनों के विनाश का आधा भाग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हुआ है ।

■ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान 'सहारा' जो अफ़्रीका महाद्वीप में है प्रतिवर्ष 15 लाख हेक्टेयर की रफ़्तार से बढ़ रहा है और तो और राजस्थान का 'थार' रेगिस्तान भी प्रति वर्ष आधा किलोमीटर की रफ़्तार से फैलते हुए 12 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन को लील रहा है । संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को देखें तो प्रति मिनट 47 हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन रेगिस्तान में बदल रही है । यह हमारे लिए सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है क्योंकि रेगिस्तान की रेत में मिट्टी के मुक़ाबले कुछ भी नहीं है । यह खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है ।

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda) Chairman — *(Prof. M. B. Zaman)* Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) से पूछा : "कौन-सा कर्म अल्लाह तआला को सबसे बढ़कर प्रिय है ?" आप (सल्ल॰) ने कहा : "नमाज़ उसके अपने समय पर पढ़नी ।" मैंने कहा, फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना ।" फिर कौन-सा ? आप (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की राह में जिहाद करना ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MUMBAI

टेंडर

मंत्री जी को अपने एक रिश्तेदार को टेंडर दिलाना था । उसने टेंडर छोड़ने वाले अधिकारी को अपने पास बुलाया और अपने रिश्तेदार को टेंडर देने के लिए कहा ।

यह अधिकारी बहुत ही कर्तव्यपरायण एवं ईमानदार था । उसने नियम क़ायदे-क़ानून का हवाला देते हुए मंत्री जी के रिश्तेदार को यह टेंडर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की ।

इस पर मंत्री जी भड़क उठे और उन्होंने अधिकारी से कहा–"भैया अफ़सर ! नियम वह जो हम कह दें और क़ायदे-क़ानून वे जो हमारे कहने पर तुम लिख दो । देश की राजधानी में बैठे मज़े लूट रहे हो । किसी छोटे से क़स्बे में जाकर जब म्यूनिसिपलिटी का विभाग संभालोगे तो सारी हेकड़ी भूल जाओगे । तुम्हारे चेहरे पर टमाटर की सी जो लाली है, यह एक मिनट में उतर जाएगी ।

अधिकारी मंत्री जी की उक्त हेकड़ी सुनकर ढीला पड़ गया और अगले ही क्षण उसने सभी नियम, क़ायदे-क़ानून को ताक़ में रखकर मंत्री जी के रिश्तेदार के नाम टेंडर फाइल में छोड़ दिया ।

टिकट

विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी थी । भ्रष्टाचार के एक मामले में धूमिल हुई छवि के कारण नेता जी को पार्टी हाईकमान ने टिकट देने से इन्कार कर दिया था । इस बात को लेकर नेता जी काफ़ी दुखी दिखायी दे रहे थे ।

अपनी आलीशान कोठी के ड्राइंग रूम में बैठे नेता जी इसी सोच-विचार में उलझे हुए थे कि पार्टी टिकट किस प्रकार हासिल किया जाए । तभी पास पड़े सोफ़े पर बैठी नेता जी की पत्नी ने सुझाव दिया कि आजकल सभी पार्टियां महिला आरक्षण पर ज़ोर दे रही हैं । आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो दुखी क्यों होते हो, इस आरक्षण के तहत पार्टी हाईकमान मुझे तो टिकट दे सकता है । मुझ पर तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है । मैं चुनाव लड़ लूंगी । सत्ता तो घर में ही रहेगी ।

अपनी पत्नी की बात सुनकर नेता जी का चेहरा खिल उठा और उसने इस सुझाव से पार्टी हाईकमान को अवगत कराया । हाईकमान ने उनके सुझाव को स्वीकार कर नेता जी की पत्नी को टिकट देने की घोषणा कर दी ।

रोहित यादव
मंडी अटेली (हरि०)

HINDUSTAN TRAVELS
Prop.
ABDUL RASHID
Mob : 9425254335

Ambikapur to Bilaspur 4:30 (Morning)
Vishrampur to Bilaspur 4:25 (Morning)
Raipur to Ambikapur 9:20 (Night)
Address : Imlipara, Ambikapur, Surguja-497001 (C.G.)

विकसित पूंजीवादी देश और मानवाधिकार



❖ डॉ॰ रामबहादुर वर्मा

(पूर्व प्राचार्य, फ़ीरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली, उ॰प्र॰)

अमेरिका की विकीलीक्स वेबसाइट ने क़रीब चार लाख अमेरिकी सैन्य खुफ़िया दस्तावेज़ों को लीक कर यह खुलासा किया है कि किस प्रकार इराक़ में जीत के जुनून में चूर गठबंधन सेनाओं (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की सेनाओं) ने मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई और किस तरह इराक़ी सुरक्षा बलों द्वारा क़ैदियों को दी गयी यातनाओं पर अमेरिका और ब्रिटेन ने आंखें मूंद रखी थी। रिपोर्ट में आरोप है कि अमेरिकी सैनिकों ने सुरक्षा चौकियों पर सैकड़ों बेक़सूर नागरिकों की जानें ली। गठबंधन सेना ने निर्दोष नागरिकों की मौतों का आंकड़ा छिपाये रखा। 2003 से 2009 के बीच 1,09,000 लोग मारे गये, इनमें से 66,081 नागरिक थे। इराक़ी क़ैदियों को दिल दहला देने वाली यातनाएं दी गयीं। क़ैदियों के शरीर में बिजली के तार, ड्रिल मशीन से घाव, उंगलियां काटने और तेज़ाब से जलाने, लोहे के राड से पीट-पीटकर अपंग बनाने की घटनाएं हुई। ऐसे भी मामले हैं कि छत पर एक संदिग्ध दिखने पर अमेरिकी फ़ौजियों ने पूरी इमारत को ही उड़ा दिया। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने इन घटनाओं को युद्ध अपराधों का अकाट्य प्रमाण माना है।

अमेरिका व उसके पिछलग्गू देशों ने केवल इराक़ में ही बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि तालिबान व अलक़ायदा से निबटने के नाम पर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से लगे अफ़ग़ानिस्तान क्षेत्र में जिस प्रकार ड्रोन विमानों (मानव रहित विमान) से बम बरसा रहे हैं उससे बड़ी संख्या में अफ़ग़ानी नागरिक ही नहीं पाकिस्तानी नागरिक भी हताहत हो रहे हैं। विश्व के अन्य भागों में भी ये विकसित पूंजीवादी देश मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं परन्तु दिखावे के लिए मानवाधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक बने हुए हैं। 24 अक्तूबर 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के

बर्बरता, दमन और उत्पीड़न

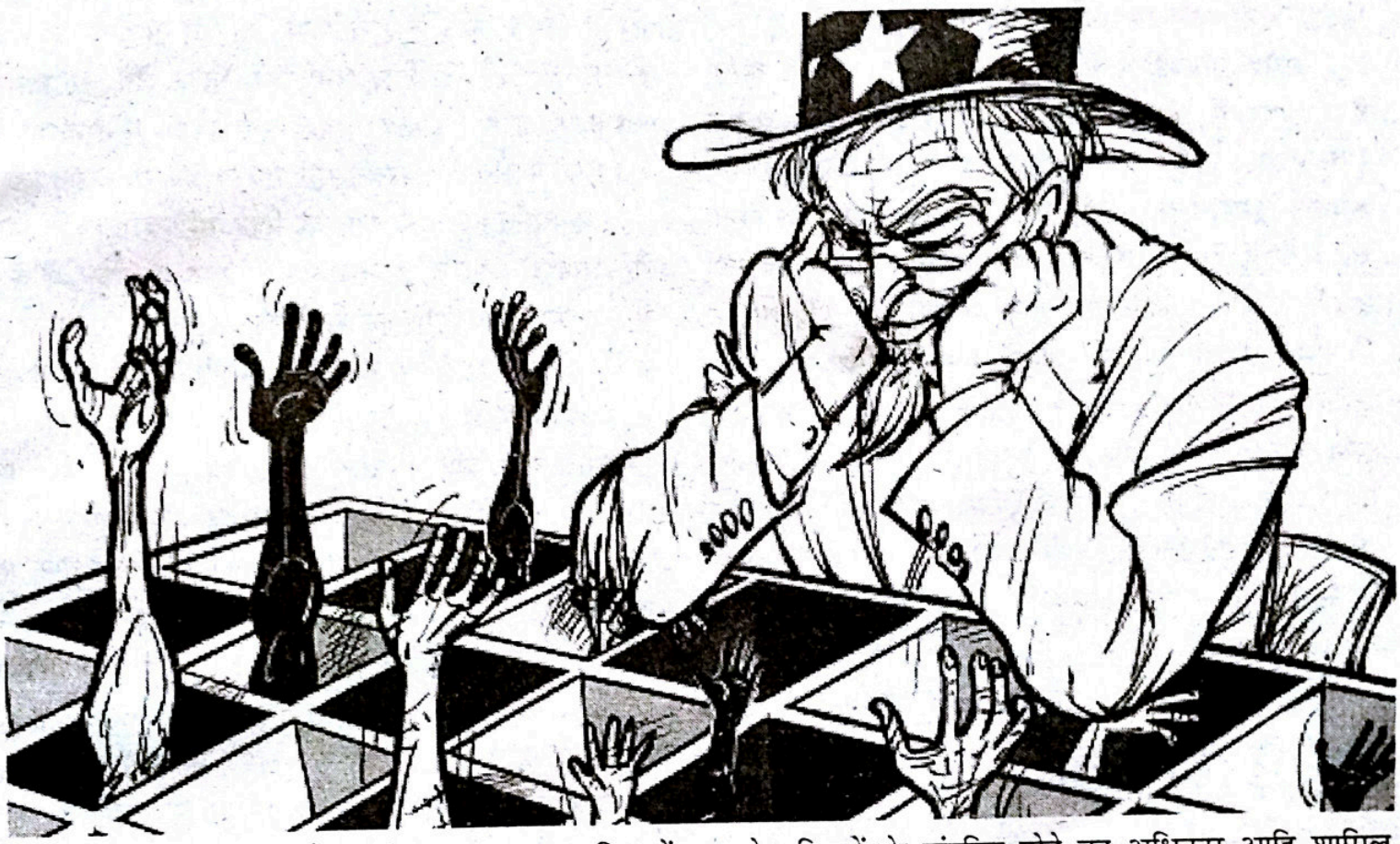

इतिहास में पहला दस्तावेज़ है जिसमें आधारभूत मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को अर्जित करने तथा इन अधिकारों के परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच दूरगामी सहयोग की नींव रखी । संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में मनुष्य के बुनियादी अधिकारों व स्वतंत्रताओं को नहीं गिनाया गया है । इसकी उद्घोषणा 1948 में जारी ''मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा'' एवं 1966 के नागरिक एवं राजनीतिक विषयक प्रसंविदा में की गयी । इन दस्तावेज़ों में व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की लंबी सूची दी गयी है ।

अमेरिका, ब्रिटेन तथा पश्चिम के अन्य देशों ने मानवाधिकारों में जहां राजनीतिक अधिकारों का खुलकर समर्थन किया वहीं पर सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से संबंधित दस्तावेज़ों का स्वीकृत किये जाने से रोकने की कोशिश की । इन अधिकारों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने तथा समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ट्रेड यूनियनों के संगठित होने का अधिकार आदि शामिल थे । अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी पश्चिम के पूंजीवादी देश सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को दस्तावेज़ में शामिल कराने से रोकने में असमर्थ रहे ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया व अफ़्रीका के पराधीन देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन तीव्र हुए तथा दो दशकों के भीतर अधिकांश देश साम्राज्यवादी ज़ंजीरों से मुक्त हो गये । चीन, वियतनाम तथा पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्था क़ायम हो जाने के बाद समाजवादी विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी । समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका तथा उसके सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित पूंजीवादी दैशों ने तानाशाहों, नस्ल एवं रंगभेद, समर्थक सरकारों को संरक्षण दिया । उन्होंने पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कांगो, उगांडा, चिली, रोडेशिया आदि देशों में उन सैनिक सरकारों का समर्थन किया जो कि मानव अधिकारों को पैरो तले रौंदते थे । न केवल विकसित

पूंजीवादी देशों ने रंग भेद की प्रबल समर्थक दक्षिण अफ़्रीक़ा की गोरी सरकार तथा इसराइल की सरकारों का समर्थन किया बल्कि अपनी ही धरती पर काले (नीग्रो) लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया ।

रंगभेद मानवाधिकारों पर सबसे घृणित हमला करता है । 1973 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने न केवल रंगभेद को अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया बल्कि रंगभेद समर्थक सरकारों को ध्वस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । परन्तु रंगभेद की प्रबल समर्थक तत्कालीन दक्षिण अफ़्रीक़ा की अल्पसंख्यक गोरी सरकार को पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि शामिल है, लगातार आर्थिक सैनिक व राजनीतिक मदद करते रहे । यदि यह मदद न मिलती तो दक्षिण अफ़्रीक़ा के अल्पसंख्यक गोरी सरकार की 1994 के काफ़ी पहले विदाई हो गयी होती । इसी तरह पश्चिम के इन्हीं देशों के समर्थन पर ही इसराईल अपने पड़ोसी अरब देश के लोगों का बर्बर दमन व उत्पीड़न करता है ।

पश्चिम के अनेक देशों में रंगभेद का आचरण होता है । संयुक्त राष्ट्र तथा मानवाधिकार आयोग द्वारा 1979 में अमेरिका में भेजे गये वकीलों के एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने वहां पर मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के अतिक्रमण की व्यापक पुष्टि की । अमेरिका के अश्वेत अमेरिकी रंगभेद तथा उसके समस्त रूपों को समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं । वे दूसरे दर्जे का नागरिक बनने से इन्कार करते हैं, इसलिए उन्हें हिंसा तथा दंगों का सामना करना पड़ता है । 1965, 1968 तथा 1998 में अमेरिका में हुए दंगों में सैकड़ों अश्वेत मारे गये व हज़ारों घायल हुए ।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय विश्वविख्यात ग़ैर-संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन अमेरिका में हुआ है, जो इसके समर्थन का सर्वाधिक ढिंढोरा पीटता है । अमेरिका में नाबालिग़ लोगों को फांसी, क़ैदियों तथा विचाराधीन क़ैदियों के साथ क्रूरता का व्यवहार आम बात है । अमेरिका के लास इंजेल्स में अश्वेतों पर पुलिस ने बर्बर प्रहार किया और पश्चिमी देशों ने इसकी आलोचना तक नहीं की । रंगभेद का अभिशाप ब्रिटेन में भी मौजूद है । वहां पर एशिया, अफ़्रीक़ा, लैटिन अमेरिका के 15 लाख से अधिक अप्रवासी रहते हैं । अनेक नस्लवादी संगठन अप्रवासियों को आतंकित करते हैं तथा अश्वेत लोगों को ब्रिटेन से बाहर निकालने की बात करते हैं । जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन आदि देशों में भी रंग के आधार पर भेदभाव व दुर्व्यवहार की घटनाएं होती रहती हैं ।

रंगभेद मानवाधिकारों पर सबसे घृणित हमला करता है । 1973 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महसभा ने न केवल रंगभेद को अन्तर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया बल्कि रंगभेद समर्थक सरकारों को ध्वस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । परन्तु रंगभेद की प्रबल समर्थक तत्कालीन दक्षिणी अफ़्रीक़ा की अल्पसंख्यक गोरी सरकार को पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि शामिल है, लगातार आर्थिक, सैनिक व राजनीतिक मदद करते रहे । यदि यह मदद न मिलती तो दक्षिण अफ़्रीक़ा के अल्पसंख्यक गोरी सरकार की 1994 के काफ़ी पहले विदाई हो गयी होती । इसी तरह पश्चिम के इन्हीं देशों के समर्थन पर ही इसराईल अपने पड़ोसी अरब देश के लोगों का बर्बर दमन व उत्पीड़न करता है ।

काम पाने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है । अमेरिका ने अभी तक काम पाने के बुनियादी अधिकार की अन्तर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि तक नहीं की है । पश्चिम के किसी भी विकसित पूंजीवादी देश के संविधान में काम करने के अधिकार को नागरिकों के मूल अधिकारों की सूची में स्थान नहीं दिया गया है । अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि विकसित पूंजीवादी देशों

में बेरोज़गारी का प्रतिशत 10 से 15 के बीच बना रहता है । पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देश नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों पर बल देते हैं, पर आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं । सोवियत रूस में जब तक समाजवादी व्यवस्था थी, काम पाने का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची में था । परन्तु 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस में पूंजीवाद का पुनर्गमन हुआ तो काम पाने का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया ।

पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देशों में नागरिकों को भाषण देने, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर अनेक हमले होते हैं । नागरिकों की स्वतंत्रता पर अनेक पाबंदियां है । टेलीफ़ोन पर बातचीत टेप की जाती है । अमेरिका के पक्ष में बोलने पर अध्यापकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है । पश्चिम के विकसित देशों के अगुआ अमेरिका, ब्रिटेन तथा जर्मनी में युद्ध विरोधी आन्दोलन के सदस्यों के विरुद्ध व्यापक रूप से प्रतिरोधी कार्रवाइयां की जाती हैं, साम्यवादी विचारधारा के संगठनों को कुचला जाता है तथा उनके क्रियाकलाप़ों पर अनेक प्रकार की रुकावटें पैदा की जाती है । बच्चों का व्यापार विशेष रूप से वेश्यावृत्ति कराने के उद्देश्य से लड़कियों का व्यापार, बाल श्रमिकों का शोषण, वेश्यावृत्ति, बंधुआ मज़दूरी आदि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है, लेकिन पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देशों में यह सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद है ।

विकसित पूंजीवादी देश अपने देश के भीतर ही नहीं बल्कि तृतीय विश्व के देशों में सैन्य कार्रवाई करके या अन्य तरीक़ों से मानवाधिकारों का हनन करते हैं । इन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भूमंडलीकरण के दौर में तृतीय विश्व के देशों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ बना ली है और वे इन देशों में प्रदूषण फैलाकर, बेरोज़गारी पैदा कर तथा प्रतिबंधित दवाओं को बेचकर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं । ये बहुराष्ट्रीय क़ंपनियां रोज़गार के अवसर घटा रही हैं, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य पाने में बांधा डाल रही हैं तथा टर्मिनेटर बीज का प्रचार कर खेती को चौपट कर रही हैं जिससे लाखों किसान आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण क़दम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं ।

पश्चिम के विकसित पूंजीवादी देशों के लिए मानवाधिकार एक राजनीतिक हथियार बन गया है । विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने देश में तथा विश्व के अन्य देशों में वे मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन करते हैं । सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व क़ायम होने के बाद अमेरिका ने तथा उसके सहयोगी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि ने विश्व पर वर्चस्व क़ायम करने के लिए न केवल देशों की संप्रभुता एवं अखंडता पर प्रहार किया है, बल्कि वहां मानवाधिकारों का हनन किया है । अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद मिटाने तथा इराक़ में लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर जिस प्रकार लाखों स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों का नरसंहार किया गया, वह मानवाधिकारों की घोषणा को निरर्थक बना देता है ।

प्रगति का स्वांग

देश प्रगति पर है
कुछ लोग लाभांवित हैं ।
इसका रसास्वादन
'नेता' और 'पूंजीपति' कर रहे हैं ।
देश का 'आम आदमी'
इसका ज़ायक़ा चख़ नहीं सकता
क्योंकि
यह काले-बाज़ार में बिकता है ।
उसके लिए तो सिर्फ़
'आंकड़े' ही काफ़ी हैं
जिसे वह–
अख़बार के पन्नों में पढ़ सकता है,
भाषणों में सुन सकता है ।
और प्रगति के नाम पर
केवल तसल्ली की सिल्ली ही
अपने सीने पर रख सकता है ।

● **ईश्वर दयाल जायसवाल**
संयोजक, अदबी विचार मंच
मो०-हयातगंज, पो०-टाण्डा,
अम्बेडकर नगर-224190 (उ०प्र०)

इस्लाम में मानवाधिकार की सुरक्षा के प्रावधान

♦ मौलाना अबुल आला मौदूदी

पवित्र क़ुरआन में फ़रमाया गया है कि "जिस आदमी ने किसी एक इन्सान को क़त्ल किया, बग़ैर इसके कि उससे किसी जान का बदला लेना हो, या वह ज़मीन में फ़साद फैलाने का मुजरिम हो, उसने मानो तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया" (5:32)। जहां तक ख़ून का बदला लेने या ज़मीन में फ़साद फैलाने पर सज़ा देने का सवाल है, इसका फ़ैसला एक अदालत ही कर सकती है । या किसी क़ौम से जंग हो तो एक बाक़ायदा हुकूमत ही इसका फ़ैसला कर सकती है । बहरहाल किसी आदमी को व्यक्तिगत रूप से यह अधिकार नहीं है कि ख़ून का बदला ले या ज़मीन में फ़साद फैलाने की सज़ा दे । इसलिए हर इन्सान पर यह वाजिब है कि वह हरगिज़ किसी इन्सान का क़त्ल न करे । अगर किसी ने एक इन्सान का क़त्ल किया तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया ।

जान की सुरक्षा का अधिकार

क़ुरआन की जो आयत मैंने अभी पेश की है उसके फ़ौरन बाद यह फ़रमाया गया है कि "और जिसने किसी नफ़्स को बचाया उसने मानो तमाम इन्सानों को ज़िन्दगी बख़्शी" (5:32)। आदमी को मौत से बचाने की बेशुमार शक्लें हैं । एक आदमी बीमार या ज़ख़्मी है, यह देखे बग़ैर कि वह किस नस्ल, किस क़ौम या किस रंग का है, अगर वह आपको बीमारी की हालत में या ज़ख़्मी होने की हालत में मिला है तो आपका काम यह है कि उसकी बीमारी या उसके ज़ख़्म के इलाज की फ़िक्र करें । अगर वह भूख से मर रहा है तो आपका काम यह है कि उसको खिलाएं ताकि उसकी जान बच जाए । अगर वह डूब रहा है या और किसी तरह से उसकी जान ख़तरे में है तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको बचाएं ।

क़ुरआन में यह हुक्म दिया गया है कि–"और मुसलमानों के मालों में मदद मांगने वाले और महरूम रह जाने वाले का हक़ है" (5:19)। पहली बात तो यह कि इस हुक्म में जो शब्द आये हैं वे सबके लिए हैं, उसमें मदद करने को किसी धर्म विशेष के साथ ख़ास नहीं किया गया है, और दूसरे यह कि यह हुक्म मक्का में दिया गया था, जहां मुस्लिम समाज का कोई बाक़ायदा वजूद ही नहीं था । और आमतौर पर मुसलमानों का वास्ता ग़ैर-मुस्लिम आबादी ही से होता था ।

औरत की आबरू का आदर

इस्लाम के दिये हुए मानवाधिकारों में यह है कि औरत की इस्मत और इज़्ज़त हर हाल में आदर के योग्य है, चाहे औरत अपनी क़ौम की हो या दुश्मन क़ौम की, जंगल बियाबान में मिले या फ़तह किये हुए शहर में, हमारे अपने मज़हब की हो या दूसरे मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, या उसका कोई भी मज़हब हो, मुसलमान किसी हाल में भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता । उसके लिए ज़िना (व्यभिचार) को हर हाल में हराम किया गया है चाहे यह कुकर्म किसी भी औरत से किया जाए । क़ुरआन के शब्द हैं– "ज़िना के क़रीब भी न फटको (17:32)। और उसके साथ ही यह भी किया गया है कि इसकी सज़ा मुक़र्रर कर दी गयी ।

हर मांगने वाले और तंगदस्त का यह हक़ है कि उसकी मदद की जाए

क़ुरआन में यह हुक्म दिया गया है कि–"और मुसलमानों के मालों में मदद मांगने वाले और महरूम रह जाने वाले का हक़ है" (5:19)। पहली बात तो यह कि इस हुक्म में जो शब्द आये हैं वे सबके लिए हैं, उसमें मदद करने को किसी

धर्म विशेष के साथ ख़ास नहीं किया गया है, और दूसरे यह कि यह हुक्म मक्का में दिया गया था, जहां मुस्लिम समाज का कोई बाक़ायदा वजूद ही नहीं था । और आमतौर पर मुसलमानों का वास्ता ग़ैर-मुस्लिम आबादी ही से होता था । इसलिए क़ुरआन की उक्त आयत का साफ़ मतलब यह है कि मुसलमान के माल पर हर मदद मांगने वाले और हर तंगदस्त और महरूम रह जाने वाले इन्सान का हक़ है ।

हर इन्सान की आज़ादी का अधिकार

इस्लाम में किसी आज़ाद इन्सान को पकड़ कर गुलाम बनाना या उसे बेच डालना बिल्कुल हराम क़रार दिया गया है । अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साफ़ शब्द ये हैं कि तीन क़िस्म के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क़ियामत के दिन मैं ख़ुद इस्तिग़ासा दायर करूंगा । उनमें से एक वह आदमी है, जो किसी आज़ाद इन्सान को पकड़ कर बेचे और उसकी क़ीमत खाये । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के इस फ़रमान के शब्द भी आम हैं । उसको किसी क़ौम या नस्ल या देश व वतन के इन्सान के साथ ख़ास नहीं किया गया है ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने ख़ुद 63 गुलाम आज़ाद किये । हज़रत आइशा (रज़ि०) के आज़ाद किये हुए गुलामों की तादाद 67 थी । हज़रत अब्बास (रज़ि०) ने 70, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) ने एक हज़ार और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि०) ने बीस हज़ार गुलाम ख़रीद कर आज़ाद कर दिये । ऐसे ही बहुत से सहाबा (रज़ि०) के बारे में रिवायतों में तफ़सील आयी है कि उन्होंने ख़ुदा के कितने बन्दों को गुलामी से मुक्त किया था । इस तरह पुराने दौर की गुलामी का मसला तीस-चालीस साल में हल कर दिया गया ।

हर इन्सान का यह हक़ है कि उसके साथ न्याय किया जाए

यह एक बहुत अहम अधिकार है, जो इस्लाम ने इन्सान को इन्सान होने की हैसियत से दिया है । क़ुरआन में आया है कि "किसी गिरोह की दुश्मनी तुम को इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इन्साफ़ से हट जाओ, इन्साफ़ करो, यह धर्मपरायणता से क़रीबतर है" (क़ुरआन, 5:8)। एक और जगह फ़रमाया गया है कि–"ऐ लोगो ! जो ईमान लाए हो, इन्साफ़ करने वाले और अल्लाह के लिए गवाह बनो" (4:135)। मालूम हुआ कि आम इन्सान ही नहीं दुश्मनों तक से इन्साफ़ करना चाहिए ।

इन्सानी बराबरी

इस्लाम न सिर्फ़ यह कि किसी रंग व नस्ल के भेदभाव के बग़ैर तमाम इन्सानों के बीच बराबरी को मानता है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सत्य नियम क़रार देता है । क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है कि–"ऐ इन्सानो ! हमने तुमको एक मां और एक बाप से पैदा किया ।" दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह हुआ कि तमाम इन्सान अस्ल में भाई-भाई हैं, एक ही मां और एक ही बाप की औलाद हैं । "और हमने तुम को क़ौमों और क़बीलों में बांट दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो" (49:13)। यानी क़ौमों और क़बीलों में यह तक़्सीम पहचान के लिए है । इसलिए है कि एक क़बीले या एक क़ौम के लोग आपस में एक-दूसरे से परिचित हों और आपस में सहयोग कर सकें । यह इसलिए नहीं है कि एक क़ौम दूसरी क़ौम पर बड़ाई जताये और उसके साथ घमंड से पेश आये, उसको कमज़ोर और नीचा समझे और उसके अधिकारों पर डाके मारे । "हक़ीक़त में तुम में इज़्ज़त वाला वह है, जो तुम में सबसे ज़्यादा ख़ुदा से डरने वाला है" (49:13)। यानी इन्सान पर इन्सान की बड़ाई सिर्फ़ पाकीज़ा किरदार और अच्छे आचरण के आधार पर है, न कि रंग नस्ल ज़ुबान या वतन के आधार पर ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने एक हदीस में बयान फ़रमाया है कि–

"किसी अरबी को ग़ैर-अरबी पर कोई बड़ाई नहीं है, न ग़ैर-अरबी को अरबी पर कोई बड़ाई है । न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई बड़ाई है । तुम सब आदम (अलैहि०) की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे ।" इस तरह इस्लाम ने तमाम मानवजाति में बराबरी क़ायम की और रंग, नस्ल भाषा और राष्ट्र के आधार पर सारे भेदभावों की जड़ काट दी ।

भलाई के कामों में हरेक से सहयोग और बुराई में किसी से सहयोग नहीं

इस्लाम ने एक बड़ा अहम उसूल यह पेश किया है

कि–"नेकी और परहेज़गारी में सहयोग करो । बदी और गुनाह के मामले में सहयोग न करो" (क़ुरआन, 5:2)। इसके मायने यह हैं कि जो आदमी भलाई और ख़ुदातरसी का काम करे, यह देखे बग़ैर कि वह उत्तर का रहने वाला हो या दक्षिण का, वह यह हक़ रखता है कि हम उससे सहयोग करें । इसके विपरीत जो आदमी बदी और ज़्यादती का काम करे, चाहे वह हमारा क़रीबी रिश्तेदार या पड़ोसी ही क्यों न हो, उसका न यह हक़ है कि नस्ल व वतन या भाषा और क़ौमियत के नाम पर वह हमारा सहयोग मांगे, न उसे हमसे यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हम उससे सहयोग करेंगे । न हमारे लिए यह जायज़ है कि ऐसे किसी काम में उसके साथ सहयोग करें । बदकार हमारा भाई ही क्यों न हो, हमारा और उसका कोई साथ नहीं है । नेकी का काम करने वाला चाहे हम से कोई रिश्ता न रखता हो, हम उसके साथी और मददगार हैं, या कम से कम ख़ैरख़्वाह और शुभ-चिंतक तो ज़रूर ही हैं ।

इस्लामी युद्ध-नियम व संधि की हैसियत

इस्लाम ने इसके विपरीत जंग के जो आदाब बताये हैं, उनकी सही हैसियत क़ानून की है, क्योंकि वे मुसलमानों के लिए अल्लाह और रसूल के दिये हुए आदेश हैं, जिनकी पाबंदी हम हर हाल में करेंगे । चाहे हमारा दुश्मन कुछ भी करता रहे । अब यह देखना हर इल्म रखने वाले का काम है कि जो जंगी-नियम चौदह सौ साल पहले तय किये गये थे, पश्चिम के लोगों ने उसकी नक़ल की है या नहीं, और नक़ल करके भी वह जंग की सभ्य मर्यादाओं के उस दर्जे तक पहुंच सका है या नहीं, जिस पर इस्लाम ने हमें पहुंचाया था ।

युद्ध न करने वालों के अधिकार

इस्लाम में सबसे पहले दुश्मन मुल्क की जंग करती हुई (Combatant) और जंग न करती हुई (Non-Combatant) आबादी के बीच फ़र्क़ किया गया है । जहां तक जंग न करती हुई आबादी का संबंध है (यानी जो लड़ने वाली नहीं है या लड़ने के क़ाबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, अंधे, अपाहिज वग़ैरह) उसके बारे में अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की हिदायतें निम्नलिखित हैं–

जो लड़ने वाले नहीं हैं, उनको क़त्ल न किया जाए

"किसी बूढ़े, किसी बच्चे और किसी औरत को क़त्ल न करो ।"

"ख़ानक़ाह में बैठे राहिबों को क़त्ल न करो ।" या इबादतगाहों में बैठे हुए लोगों को न मारो ।

जंग में एक मौक़े पर हुज़ूर (सल्ल॰) ने एक औरत की लाश देखी तो फ़रमाया "यह तो नहीं लड़ रही थी ।" इससे इस्लामी क़ानूनदानों ने यह उसूल मालूम किया कि जो लोग लड़ने वाले न हों उनको क़त्ल न किया जाए ।

इस्लाम ने एक बड़ा अहम उसूल यह पेश किया है कि–"नेकी और परहेज़गारी में सहयोग करो । बदी और गुनाह के मामले में सहयोग न करो" (क़ुरआन, 5:2)। इसके मायने यह हैं कि जो आदमी भलाई और ख़ुदातरसी का काम करे, यह देखे बग़ैर कि वह उत्तर का रहने वाला हो या दक्षिण का, वह यह हक़ रखता है कि हम उससे सहयोग करें ।

युद्ध करने वालों के अधिकार

इसके बाद देखिए कि लड़ने वालों को क्या अधिकार इस्लाम ने दिये हैं–

"आग का अज़ाब न दिया जाए

हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का इरशाद है कि "आग का अज़ाब देना आग के रब के सिवा किसी को ज़ेबा नहीं देता ।" इससे यह हुक्म निकला कि दुश्मन को ज़िन्दा न जलाया जाए ।"

ज़ख़्मी पर हमला न किया जाए

"किसी ज़ख़्मी पर हमला न करो ।" मुराद है वह ज़ख़्मी जो लड़ने के क़ाबिल न रहा हो, न अमली तौर पर लड़ रहा हो ।

क़ैदी को क़त्ल न किया जाए

"किसी क़ैदी को क़त्ल न किया जाए ।"

बांध कर क़त्ल न किया जाए

"नबी (सल्ल०) ने बांध कर क़त्ल करने या क़ैद की हालत में क़त्ल करने से मना फ़रमाया ।" हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि०) जिन्होंने यह रिवायत अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से नक़ल की है, फ़रमाते हैं कि "जिस ख़ुदा के हाथ में मेरी जान है, उसकी क़सम खाकर कहता हूं कि मैं किसी मुर्ग़ को भी बांध कर ज़ब्ह न करूंगा ।"

दुश्मन क़ौम के देश में आम ग़ारतगरी या लूटमार न की जाए

यह हिदायत भी की गयी कि दुश्मनों के मुल्क में दाख़िल हो तो आम तबाही न फैलाओ । बस्तियों को वीरान न करो, सिवाय उन लोगों के जो तुम से लड़ते हैं, और किसी आदमी के माल पर हाथ न डालो । हदीस में बयान किया गया है कि "नबी (सल्ल०) ने लूटमार से मना किया है ।" और आप (सल्ल०) का फ़रमान था कि "लूट का माल भी मुरदार की तरह हराम है ।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) फ़ौजों को रवाना करते वक़्त हिदायत फ़रमाते थे कि "बस्तियों को वीरान न करना, खेतों और बाग़ों को बरबाद न करना, जानवरों को हलाक़ न करना ।" (ग़नीमत के माल का मामला इससे अलग है । इससे मुराद वह माल है जो दुश्मन के लश्करों उसके फ़ौजों, कैम्पों और उसकी छावनियों में मिले । उसको ज़रूर इस्लामी फ़ौजें अपने क़ब्ज़े में ले लेंगी, लेकिन आम लूटमार वह नहीं कर सकतीं ।)

जीते हुए इलाक़े के लोगों से कोई चीज़ मुफ़्त या बिना इजाज़त न ली जाए

इस बात से भी मना कर दिया गया, कि आम आबादी की किसी चीज़ से मुआवज़ा अदा किये बग़ैर फ़ायदा उठाया जाए । जंग के बीच में अगर दुश्मन के किसी इलाक़े पर क़ब्ज़ा करके मुसलमानों की फ़ौज वहां ठहरी हो तो उसको यह हक़ नहीं पहुंचता कि लोगों की चीज़ों का बे रोक-टोक इंस्तेमाल करे ।

दुश्मन की लाशों पर ग़ुस्सा न निकाला जाए

इस्लाम में पूरे तौर पर इस बात को भी मना किया गया



है कि दुश्मन की लाशों का अनादर किया जाए या उनकी गत बिगाड़ी जाए । हदीस में आया है कि–"नबी (सल्ल०) ने दुश्मनों की लाशों की काट, पीट या गत बिगाड़ने से मना फ़रमाया है ।"

दुश्मन की लाशें उसके हवाले करना

अहज़ाब की जंग में दुश्मन का एक बड़ा मशहूर घुड़सवार मरकर ख़ंदक़ में गिर गया । काफ़िरों ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के सामने दस हज़ार दीनार पेश किये कि उसकी लाश हमें दे दीजिए । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि मैं मुर्दे बेचने वाला नहीं हूं । तुम ले जाओ अपनी लाश ।

वादा ख़िलाफ़ी सख़्ती से मना

इस्लाम में बदअहदी को भी सख़्ती से मना कर दिया गया है । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) फ़ौजों को भेजते वक़्त जो हिदायतें देते थे, उनमें से एक यह थी कि "बदअहदी न करना ।" क़ुरआन और हदीस में इस हुक्म को बार-बार दोहराया गया है कि दुश्मन अगर अहद व पैमान की ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है तो करे, लेकिन तुम को अपने अहद व पैमान की ख़िलाफ़वर्ज़ी कभी न करना चाहिए ।

जंग से पहले जंग के एलान का हुक्म

क़ुरआन में फ़रमाया गया है कि–"अगर तुम्हें किसी क़ौम से ख़यानत (यानी अहद तोड़ने) का ख़तरा हो तो उसका अहद खुल्लम-खुल्ला उसके मुंह पर मार दो" (क़ुरआन, 8:58)। इस आयत में इस बात से मना कर दिया गया है कि जंग के एलान के बग़ैर दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी जाए, सिवाय इसके कि दूसरे फ़रीक़ ने आक्रामक कार्रवाइयां शुरू कर दी हों ।

"अल्लाह उस आदमी के साथ दयालुता का मामला करेगा जो क्रय-विक्रय और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नरमी और शालीनता बरते।" (हदीस)

Abdul Malik **9845311911**

UNIQUE CREATIONS

Spl. in Unipole & Structure Hoarding

#4, Bldg NO. 29/35, 1st Main Road,
Opp. Masjid-e-Husna, SRK Garden,
Jayanagar East, Bangalore-560041
E-mail : uniquecreations2008@gmail.com

बड़े आदमी

■ विद्या प्रकाश

समाज में ऐसे तथाकथित बड़े आदमियों की कमी नहीं, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामाजिक मान-मर्यादाओं को ताक़ पर रखकर दूसरों से विश्वासघात करने और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाने से बाज़ नहीं आते । ऐसा करने में उन्हें न परिणाम की चिंता रहती है और न ईश्वर का ज़रा भी भय रहता है । ऐसा ही एक वाक़िया पिछले साल का है, जिसमें एक बड़े आदमी के चक्कर में एक व्यक्ति अपनी रही-सही पूंजी गंवा बैठा और जब उसकी आंख की पट्टी खुली, उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी ।

साल भर पहले की बात है । शहर के कोलाहल और भौतिक चकाचौंध से दूर एक गांव था रसूलपुर । इसी गांव में प्राथमिक पाठशाला के एक अवकाश प्राप्त अध्यापक रहते थे । ग्रामवासी उन्हें मुंशी जी के संबोधन से जाना और बुलाया करते थे । परिवार के नाम पर घर में पत्नी के अलावा 15-16 वर्ष की एक छोटी बेटी थी । परिवार की अर्थव्यवस्था कोई बहुत सुदृढ़ तथा संतोषजनक नहीं थी । ले-देकर थोड़ी-सी खेती लायक़ भूमि थी और आय के नाम पर मासिक पेंशन था, जिसके भरोसे इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में घर गृहस्थी का ख़र्च चल पाना मुश्किल साबित हो रहा था । पहली तारीख़ को मिली पेंशन की धनराशि धीरे-धीरे समाप्त हो जाती और कभी-कभी फ़ाक़ाकशी तक की नौबत पैदा हो जाती ।

भोजन वस्त्र के अलावा बिटिया की पढ़ाई-लिखाई, किताब-कॉपी वग़ैरह का सारा ख़र्च इसी पेंशन पर आधारित था । इस विषम परिस्थिति में एक-एक दिन चैन से काटना भारी पड़ रहा था । दूसरी तरफ़ बिटिया की शादी की भी चिंता थी । इस स्थिति को देखकर मुंशी जी की पत्नी अक्सर कहती : 'तीन बीघे खेत है । थोड़ा-सा निकालकर बैंक में शादी के प्रयोजन के निमित्त जमा कर दीजिए । ज़िन्दगी का कोई भरोसा नहीं । कौन जाने कब क्या हो जाए ? बैंक में जमा पूंजी रहेगी तो कम से कम बिटिया की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी ।'

घर आकर मुंशी जी ने बताया, 'सुबह जो यहां से खाकर गया था, सारा दिन बीत गया, उसके अलावा पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं आया ।' काफ़ी बड़े आदमी जो हैं । बहुत बड़ा कारोबार है उनका । उनके मन में यह बात कई रोज़ तक काटती रही । कुछ दिन ऐसे ही बीत गये ।

मुंशी जी को पत्नी की यह बात जंच गयी । कुछ ही दिनों में अपनी दो बीघे ज़मीन दो लाख रुपये में बेचकर उन्होंने बैंक में जमा कर दिये । दिन एक-एक करके परिन्दे की तरह पंख लगाकर परवाज़ करने लगा । बिटिया ने बी०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी । उसके हाथ जल्दी पीले कर देने की फ़िक्र में मुंशी जी घुले जा रहे थे । दिन का चैन और रात की नींद दुश्वार हो गयी थी । देर रात तक चिंता के मारे नींद न आती । जहां भी जाते, बात पैसे पर आकर रुक जाती । जिस द्वार पर उम्मीद लेकर जाते, दहेज आड़े आ जाता । पत्नी की इच्छा थी और अक्सर कहा करती थी, "लड़का ढंग का और सर्विस वाला होना चाहिए ।" मगर बेरोज़गारी के इस दौर में सर्विस वाला बारोज़गार लड़का जल्दी मिलता कहां है और जो लड़का बारोज़गार है भी तो दहेज के नाम पर हज़ारों नखरे और फ़रमाइशें हैं । यही देखते-देखते एक साल गुज़र गया ।

एक दिन की बात है । पत्नी बोली, 'मुंशी जी ! मेरे मामा का बनारस में बड़ा कारोबार है । बड़े आदमी हैं । साड़ी के धंधे के अलावा ठीकेदारी है । उनके पास बहुत

बड़ी हवेली है । गाड़ी मोटर है । मोबाइल से चारों तरफ़ बात करते हैं । आप किसी दिन समय निकाल कर उनके घर जाइए । उनका परिचय अच्छे लोगों से है । चार अच्छे लोगों के बीच में उठना-बैठना, मिलना-जुलना है । जाकर अपना परिचय दीजिए । क्या वे हमको पहचानेंगे नहीं ? ईश्वर ने चाहा तो उनके प्रयास से बिटिया की किसी अच्छे परिवार में शादी पक्की हो जाएगी ।' पत्नी के कई बार आग्रह पर मुंशी जी मामाजी के यहां जाने को तैयार हो गये । पता लेकर वे दारानगर, वाराणसी को निकल पड़े । रिक्शा पर बैठकर दारानगर चौराहे पर पता पूछते-पूछते पहुंच गये । आगे एक स्थान पर रुक कर पूछा–'वृन्दाजी की हवेली यही है ?'

हवेली के द्वार के पास खड़े एक व्यक्ति ने बेरुखी से उत्तर दिया–''जी हां'' हवेली यही है । बाबूजी कहिये । नाम क्यों लेते है ? बड़े आदमी हैं । जाइये गेट के पास एक बन्दूक़धारी चौकीदार खड़ा है । बाबूजी को पूछ लीजिए।''

मुंशी जी पूछते-पूछते हवेली के गेट पर पहुंचे । द्वार पर बन्दूक़धारी कर्मचारी ने बताया, 'चौथे गेट से हवेली के अन्दर बरामद में बैठे हैं ।' हवेली की भव्यता और विशालता से अचंभित मुंशी जी एक-एक क़दम भारीपन से उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे । वृन्दा जी की संपन्नता मन में आकलन करते मुंशी जी अन्दर हवेली में दाख़िल हुए । वृन्दा जी के पास भारी भीड़ लगी थी । लाखों-करोड़ों की बात हो रही थी । बड़े आदमी जो ठहरे । उनके पास इतनी फ़ुरसत कहां जो छोटे आदमियों पर तवज्जो दें ? काफ़ी समय के बाद उनकी दृष्टि पड़ी । मुंशी जी ने किसी प्रकार सकुचाते-सकुचाते अपना परिचय दिया तथा आने का प्रयोजन बताया । वृन्दा जी बोले,' अरे ! बहुत दिन हो गये, भांजी से मिले हुए । कैसी है ? यहां तक आने में कोई दिक़्क़त तो नहीं हुई ? बस स्टेशन से यहां तक कैसे आये ?'

उत्तर की प्रतीक्षा किये नौकर को उन्होंने आवाज़ दी, 'अरे मंगरूआ, भाइया को मीठा, पानी, चाय वग़ैरह लाकर पिला दे । गाड़ी खड़ी है । मैं ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूं ।' कहकर वे बाहर चले गये ।

मैसा था नहीं । नौकर कहां से चाय, मिठाई और नमकीन लाकर देता । वह कुछ देर तक मुंशी जी को अपलक देखता रहा । फिर जाने क्या सोच कर वह दूसरे काम में लग गया । कौन चाय-पानी पूछता है ? बड़े आदमी जो ठहरे । शाम ढलने को आ गयी बैठे-बैठे । फिर मुंशी जी बैठे गाड़ी पकड़कर चुपचाप घर की ओर रुख किये । रास्ते भर वृन्दा जी का यह अप्रत्याशित व्यवहार उनके दिल में कांटे की तरह चुभता रहा ।

घर आकर मुंशी जी ने बताया, 'सुबह जो यहां से खाकर गया था, सारा दिन बीत गया, उसके अलावा पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं आया ।' काफ़ी बड़े आदमी जो हैं । बहुत बड़ा कारोबार है उनका । उनके मन में यह बात कई रोज़ तक काटती रही । कुछ दिन ऐसे ही बीत गये । एक रोज़ पत्नी बोली, 'किराया- भाड़ा का प्रबंध मैं किये देती हूं । एक बार मामा जी के यहां और जाकर देखो । जाने और कहने में क्या लगता है । कौन जाने बात बन ही जाए । बिटिया की शादी का कोई जुगाड़ लग ही जाए । मामा जी हर बार ऐसे थोड़े ही करेंगे ? पत्नी की बात पर मुंशी जी ने एक बार और बिना मन के वाराणसी का रुख़ किया और वृन्दा जी की हवेली पर पहुंच गये । हालांकि मन में पुरानी कटुता का मैल धुला न था । मगर वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी रह गयीं । एक आदमी बाहर खड़ा वृन्दा जी को बिगड़ रहा था, ''मेरा दो लाख रुपये तुरंत वापस कीजिए अन्यथा हवेली मेरे नाम कर दीजिएगा । यह सुनकर वृन्दा जी गिड़गिड़ा रहे थे और जैसे उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे । फिर किसी प्रकार बोले, दो माह का समय दीजिए । आपकी एक-एक पाई लौटा दूंगा ।'

'दो माह में सारा रुपया नहीं अदा किया तो हवेली ले लूंगा ।' कहते हुए वह आदमी तैश में वहां से चला गया ।

वृन्दा जी की निगाह मुंशी जी पर पड़ी । सकपका कर बोल उठे 'कहिए' कब आना हुआ, भांजी का क्या हाल है ?' मुंशी जी बोले 'मामा जी । पत्नी आपको बहुत याद करती है । किसी दिन समय निकाल कर घर आइये । कुछ आवश्यक बात करनी है ।'

'वृन्दा जी बोले, 'क्या करूं, काफ़ी लंबा कारोबार जो ठहरा । जल्दी फ़ुरसत नहीं मिल पाती, कहीं आने-जाने के लिए । फिर भी किसी प्रकार वक़्त निकाल कर अगले हफ़्ते आने की कोशिश करूंगा ।'

इसी दौरान कुछ कर्मी तक़ाज़े के लिए पहुंच गये और बोले, बैंक का तीन लाख रुपया बाक़ी है । आपकी हवेली नीलाम होने वाली है ।'

बैंककर्मी यह कहकर चले गये । उनके जाने के बाद वृन्दाजी बोले, 'मास्टर जी बड़ा लंबा कारोबार है । करोड़ों

का लेना-देना चलता रहता है ।' कहकर वे चुपचाप हवेली के अन्दर चले गये ।

मुंशी जी को न चाय, नाश्ता और न भोजन । वे जैसे आये थे, वैसे उल्टे पांव चुपचाप घर लौट आये ।

एक सप्ताह का समय बीत गया । मुंशी जी के घर के सामने एक कार आकर खड़ी हुई । वृन्दा जी कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकले । मुंशी जी का परिवार इतने बड़े आदमी को घर आया देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । उनकी पत्नी ने अपने मामा जी के स्वागत-सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी । दो घंटे के बाद उनकी बिटिया भी कॉलेज से लौट आयी । उसने वृन्दा जी को प्रणाम किया ।

बातों-बातों में बिटिया की शादी का ज़िक्र शुरू हो गया । मुंशी जी की पत्नी बोल उठी, 'मामा जी, इसकी शादी तय करना आपके ज़िम्मे है । आप इतने दौलतमंद बड़े आदमी हैं । किसी प्रकार इसका उद्धार करें । इसका हाथ पीले कर हम चैन की नींद सो सकेंगे ।' बिटिया की शादी का आश्वासन देकर वृन्दा जी चले गये । उनके संज्ञान में यह बात आ गयी थी कि मुंशी जी के पास बिटिया की शादी के लिए दो लाख रुपये मौजूद हैं ।

अभी दो रोज़ भी नहीं बीते थे कि वृन्दा जी शाम को फ़िर कार से आ धमके और चाय-पानी के बाद बोले, 'बिटिया, तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का खोज लिया है । मेरे नातेदार का लड़का है । सुन्दर है । सरकारी कर्मचारी है । अच्छे स्वभाव-संस्कार का शीलवान है । अगले महीने में शादी हो जाएगी । चिंता मत करो । लेकिन मेरे सामने एक समस्या आ गयी है । मैं एक ज़रूरी काम से इस वक़्त आया हूं । मेरा एक करोड़ रुपये मिलने वाला है । तीन दिन में मिल जाएगा, मगर इसके पूर्व मुझे दो लाख रुपये जमा करना है । यदि तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तीन रोज़ के बाद तुम्हें तुम्हारा रुपया वापस कर दूंगा ।' मुंशी जी की पत्नी बोली, 'मामा जी, मैंने तो रुपया बिटिया की शादी के लिए रखा है ।'

वृन्दा जी ने लालच देते हुए कहा, 'घबराओ नहीं, दो तीन दिन की बात है । तुम्हारे पैसे समय पर तुमको वापस मिल जाएगा ।' मन में खोट था, मगर उनकी ज़बान में चीनी की चाशनी घुल रही थी, विश्वास में मुंशी जी की पत्नी ने बैंक से दो लाख रुपया निकाल कर दे दिये और मामा जी चले । तब से दिन से सप्ताह, सप्ताह से एक महीना रास्ता अगोरते-अगोरते बीत गया । मगर न रुपया वापस मिला और न मामा जी ही आये । चिंता के मारे पत्नी की आंखों में नींद कहां ?

उसके कहने पर मुंशी जी एक दिन हक़ीक़त का पता करने के लिए दारानगर, वाराणसी गये । मगर वहां का मंज़र देखकर उनके पांव के नीचे की ज़मीन खिसक गयी । वृन्दा जी की हवेली नीलाम हो गयी थी तथा पुलिस उनको हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी । यह अप्रत्याशित दृश्य देखकर मुंशी जी को झटका सा लगा । चक्षुपलक की कोर से अश्रु धारा बह चली । बुदबुदा उठे, 'बड़े आदमी के चक्कर में मैं तो बरबाद हो गया । कहीं का नहीं रहा मैं ।' मुख सूख गया । खुद पर संयत न रख सके और कटे वृक्ष की भांति वे निखलंब भूमि पर गिर पड़े । हृदयाघात की तीव्र असह्य पीड़ा से उनके प्राण काया पिंजर से निकल गये ।

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(ProfZ.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और असरी उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ सिमोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया के मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह के यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09450587737, 09793424547

जामिया का बैंक खाता नं.

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

ऐसे परखें मिलावटी चीज़ों को

● डॉ॰ विनोद गुप्त

मिलावट से हर उपभोक्ता परेशान है । उपभोक्ताओं के लिए यह जानकारी है कि मिलावटी वस्तुओं का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उन्हें वही मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है । इसी को ध्यान में रखते हुए हम जांच के आसान तरीक़े बता रहे हैं ।

■ हल्दी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए टेस्ट ट्यूब में थोड़ी-सी हल्दी लें और उसमें चार बूंद गाढ़े नमक के तेज़ाब को डालें । ऐसा करने पर उसका रंग बैंगनी हो जाएगा । अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालें । यदि पानी डालने से बैंगनी रंग उड़ जाए तो समझना चाहिए कि हल्दी शुद्ध है ।

■ काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट की जाती है । इसकी पहचान का आसान तरीक़ा यह है कि एक गिलास पानी में एक चम्मच काली मिर्च डालें । यदि सभी दाने डूब जाएं तो शुद्ध है । पपीते के बीज मिले होंगे तो वह तैरते होंगे, नीचे बैठेंगे नहीं ।

■ पिसी हुई लाल मिर्च में मिलावट का पता लगाने के लिए एक कांच के गिलास में थोड़ा-सा पानी लेकर एक चम्मच पिसी मिर्च डाल दें । यदि मिलावटी होगी तो पानी में रंग छूट जाएगा ।

■ धनिया में मिलावट का पता लगाने के लिए उसमें थोड़ा-सा टिन्चर आयोडीन मिलाएं । यदि उसका रंग काला हो जाए तो मिलावटी है ।

■ हींग शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए उसका एक टुकड़ा ज़बान पर रखें । यदि शुद्ध हुई तो वह चरपरी और कड़वी लगेगी । इसके अलावा पानी में हींग डालकर भी पता लग सकता है । यदि उसमें पत्थर आदि की मिलावट होगी तो वह नीचे बैठ जाएगी । हींग की शुद्धता की पहचान एक अन्य तरह से कर सकते हैं एक तो पानी में घोलकर । यदि पानी का रंग दूधिया हो जाए तो वह शुद्ध है । दूसरे उसे जलाकर, यदि उसे जलाने पर चमकीली लौ निकले तो हींग शुद्ध है ।

■ नमक सभी मसालों में सबसे सस्ता है, लेकिन उसमें भी पत्थर पीस कर मिला दिया जाता है । इसकी जांच पानी में घोलकर की जा सकती है नमक घुल जाएगा पत्थर नहीं ।

■ यदि आप घर में शुद्ध घी में मिलावट की जांच करना चाहें तो एक परखनली (टेस्ट ट्यूब) में थोड़ा-सा घी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल कर हिलाएं । यदि कोई मिलावट होगी तो नीचे गुलाबी रंग दिखायी देने लगेगा । रंग न बदले तो शुद्ध है ।

■ सरसों के तेल में भी सोयाबीन, रेपसीड आदि तेलों की मिलावट की जाती है । जांच के लिए टेस्ट ट्यूब में सलफ्यूरिक एसिड तथा तेल को मिलाकर हिलाएं । मिलावटी तेल होने पर नीचे पीला रंग दिखायी पड़ेगा ।

■ दूध की शुद्धता के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए । पानी की मिलावट इससे पकड़ी जा सकती है । दूध की शुद्धता नाइट्रिक एसिड से भी जांची जा सकती है । एक कप दूध में दो बूंदें नाइट्रिक एसिड डालें । इसमें दूध और पानी अलग-अलग हो जाता है ।

■ दालों का रंग-रूप संवारने के लिए उसमें हानिकारक रंग मिलाये जाते हैं । दालों को मेनेटिल एलो से रंगा जाता है । दालों में रंग की मिलावट है या नहीं, यदि देखना हो तो एक दो चम्मच दाल को पानी में डालकर तीन-चार बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालें । यदि दाल में कोई रंग मिला होगा तो पानी लाल हो जाएगा ।

■ बेसन में मक्का, हल्की दालों आदि का मिश्रण किया जाता है । इसकी जांच के लिए टेस्ट ट्यूब में थोड़ा-सा बेसन एवं पानी लेकर गरम करेंगे । यदि कोई मिलावट होगी तो ऊपर नीला रंग दिखाई देगा ।

■ चाय की पत्ती में मिलावट का पता लगाने हेतु किसी सफ़ेद गीले काग़ज़ पर उसे डालें । यदि कोई रंग मिला होगा तो काग़ज़ पर उतर आएगा । चाय की पत्ती में कुछ मिला है या नहीं इसकी जांच स्याही सोख अथवा सोख़ते काग़ज़ पर चाय की पत्ती डाल सकते हैं । मिलावट होगी तो सोख़ते पर रंग छूटेगा ।

HUDA BUILDERS & DEVELOPERS

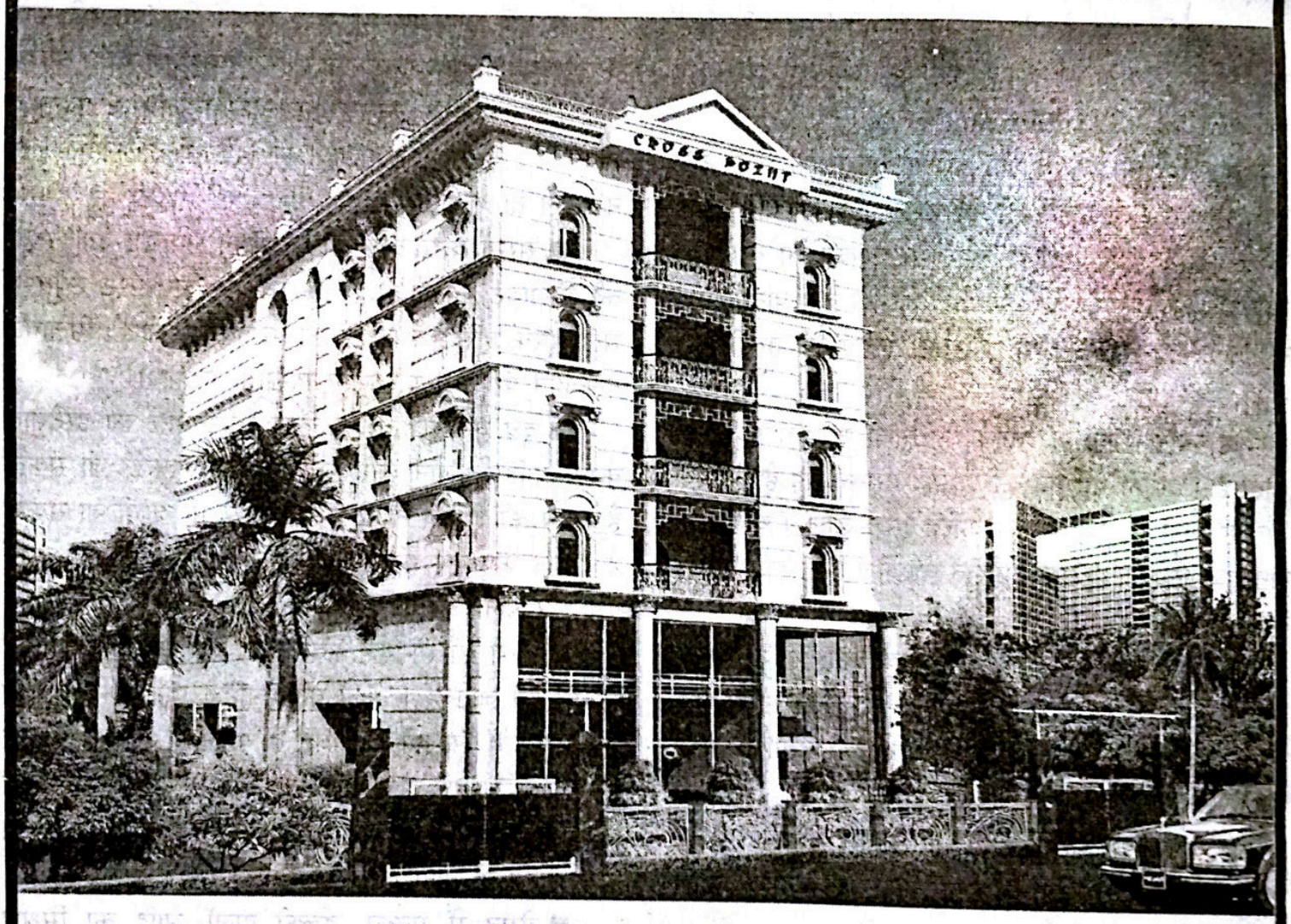

MD. MUKHTAR AHMED

MOBILE NO. : 9820127170

385, Sane Guruji Marg, Next to I.T.I College (Ghass Gali),
Mumbai-400011
Tel. No. : 23482660/23482688/23482762
Fax : 23484245

अनेक रोगों से मुक्ति दिलाती हैं हरी एवं लाल मिर्च

■ एस॰ आर॰ मित्तल

प्राय: अधिकांश घरों में हरी मिर्च का उपयोग सब्ज़ियों, चटनी इत्यादि का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है । धनिये और पुदीने की चटनी बनाते समय हरी मिर्च को भी साथ पीस देने से चटनी का स्वाद बढ़ जाता है । वर्षा ऋतु में ताज़ा हरी मिर्च को भूनकर नमक मिलाकर सेवन करने का अलग ही मज़ा है ।

हरी मिर्च में चरचरापन एवं तीक्ष्णता इसमें मिले 'कैप्सेकिन' नामक तत्व की उपस्थिति की वजह से होती है ।

हरी मिर्च का एक ओर जहां भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं हरी मिर्च का सीमित एवं नियंत्रित सेवन किये जाने से अनेक रोगों में काफ़ी लाभ भी मिलता है । इसकी तासीर गर्म, हल्की, रुखी तथा चरपरी होती है । इस वजह से यह कफ़ जन्य और वायु रोगों को दूर करती है तथा गर्म तासीर होने के कारण पित्त को बढ़ाती है ।

हरी मिर्च में कई तरह के विटामिंस पाये जाते हैं । 100 ग्राम हरी मिर्च में आद्रर्ता 82.6, प्रोटीन 2.9 प्रतिशत, वसा 0.06, कार्बोहाइड्रेट 6.1, रेशा 6.8, कैल्शियम 0.03, फास्फोरस 0.08, लोहा 0.0012 प्रतिशत, विटामिन सी 111 मिलीग्राम, केरोटिन 454 ई॰यू॰ होता है । इसमें एल्यूमिनियम, थोरियम, तांबा, लीथियम, मैग्नीज़, सिलिकॉन तथा टिटेनियम नामक तत्व भी होते हैं ।

हरी मिर्च विभिन्न रोगों के उपचार में लाभकारी है । हरी मिर्च के औषधीय गुणों पर एक नज़र–

➢ हरी मिर्च कड़वी, चरपरी, कफ़ निकालने वाली, मस्तिष्क के रोगों को दूर करने वाली, स्नायुविक वेदनाओं में लाभकारी तथा पित्तवर्द्धक होती है ।

➢ हैजा होने पर एक-एक ग्राम हींग तथा कपूर के साथ दो हरी मिर्च पीसकर गोली बनाकर दिन में तीन-चार बार गुनगुने पानी के साथ लेने से लाभ होता है ।

➢ हरी मिर्च के नियमित सेवन से भोजन में अरुचि, अग्निमंद तथा अजीर्ण रोगों में काफ़ी लाभ होता है ।

➢ अगर पेशाब में रुकावट रहती हो तो हरी मिर्च एवं लहसुन से बनी चटनी का सेवन करने से पेशाब की रुकावट दूर होती है और पेशाब खुलकर आता है ।

➢ बिच्छू के काटने पर दंश स्थान पर तत्काल हरी अथवा लाल मिर्च पीसकर उसका लेप करने से दर्द से काफ़ी राहत मिलती है ।

➢ आमवात, कटिशूल, पार्श्व शूल आदि विभिन्न वायु रोगों में पीड़ा वाली जगह पर हरी मिर्च पीसकर लेप करने से आराम मिलता है ।

हरी मिर्च के अलावा लाल मिर्च भी विभिन्न रोगों में काफ़ी लाभकारी है ।

➢ सांप काटने पर अगर यह पता न चले कि सांप ज़हरीला था या नहीं तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल लाल मिर्च चबाने को दें । अगर मिर्च उस व्यक्ति को चरपरी न लगे तो समझें कि सांप ज़हरीला था । अत: उसकी तत्काल चिकित्सा कराएं ।

➢ वर्षा ऋतु में हैजे की बीमारी बहुत फैलती है । ऐसे समय में लाल मिर्च के बीज निकालकर उसके छिलके को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें । इस चूर्ण को शहद में मिलाकर दो-दो रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें । हैजे से पीड़ित व्यक्ति को प्रात: दो-तीन घंटे बाद एक-एक गोली शीतल जल से देते रहने से लाभ होता है ।

➢ मोटापे की अवस्था में हरी अथवा लाल मिर्च का सेवन करते रहने से वज़न नियंत्रण में रहता है ।

➢ अगर कुत्ता काट ले तो काटे गये स्थान पर तुरंत लाल मिर्च का लेप लगा देने से कुत्ते के काटने पर ज़हर शरीर में नहीं फैलता ।

सावधानी

गर्मी, पित्त एवं एसीडिटी (अम्ल पित्त), पेप्टिक अल्सर इत्यादि रोगों से पीड़ित व्यक्ति हरी अथवा लाल मिर्च का सेवन करने से परहेज़ रखें ।



"पहुंचा दो मेरी ओर से चाहे एक ही आयत क्यों न हो"

–हज़रत मुहम्मद सल्ल०

क़ुरआन के महीने में क़ुरआन पहुंचाएं !

आइये ! अपने फ़र्ज़ मंसबी को अदा करें !!

आइये ! अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की अज़ीम सुन्नत को अदा करें !!!

क़ुरआन और हदीस से यह बात साबित है कि अब क़ियामत तक कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं है । क़ियामत तक आने वाले इन्सानों के लिए अल्लाह तआला मुकम्मल हिदायतनामा "क़ुरआन मजीद" के तौर पर दे चुका है । अब इस हिदायतनामा यानी क़ुरआन मजीद को पूरी इन्सानियत तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुस्लिम उम्मत की है । क्या हम इस ज़िम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ? यदि नहीं तो तुरंत इसकी चिंता करें, इससे पहले कि अल्लाह हम से हिसाब ले।

अत: प्रत्येक मुसलमान यह प्रोग्राम बनाए कि

- वह अपने ग़ैर-मुस्लिम दोस्त या पड़ोसी या जिन ग़ैर-मुस्लिमों से ताल्लुक़ात हों, उन्हें अपने घर आमंत्रित करे और क़ुरआन मजीद का अज़ीम तोहफ़ा पेश करे।
- यदि उन्हें घर नहीं बुला सकते हों तो उनके पास जाए और उनकी सेवा में क़ुरआन मजीद का तोहफ़ा पेश करे ।

SALAAM Centre

Head Office: # 65/1, 1st Main Road, S.R.K. Garden, JAYANAGAR EAST, Bangalore - 41
Branch: G.C., RICH HOMES, RICHMOND ROAD, Bangalore - 25, Cell: 99451 88488, 99451 77477
Email: salaamcentrebangalore@gmail.com www.salaamcentre.org

चुप्पी के पीछे

यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों द्वारा आर॰डी॰एक्स, जिलेटिन की छड़ों, टी॰एन॰टी॰ और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बम बनाने और उनका विस्फोट करना सिखाने वाले जो बड़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर होते रहे हैं उन पर कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ? इतने बड़े पैमाने पर जो आतंकवादी शिविर चल रहे हैं, इसी भारत में, जिनमें जिलेटिन की सैकड़ों छड़ों और आर॰डी॰एक्स॰ के विस्फोट करना सिखाया जा रहा हो, क्या इतनी मामूली बात है कि केन्द्र सरकार यहां आंख बंद करके बैठी रहे ?

(मुद्राराक्षस, राष्ट्रीय सहारा, 19 दिसम्बर 2010)

धोखा

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत बड़ा है, लेकिन यह अपने ढंग का अकेला घोटाला नहीं है । कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, राडिया कांड, कर्नाटक में कार्यरत भू-माफ़िया, महाराष्ट्र में राजनेताओं और सरकारी अफ़सरों की मिलीभगत से पनपते भ्रष्ट आचरण के उदाहरण, न्यायपालिका पर लग रहे शर्मनाक आरोप...ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश ही भ्रष्टाचार से घिर गया है । हमारी समूची व्यवस्था सवालों के घेरे में है और हम प्रतीकात्मक लड़ाइयों से अपने आपको धोखा देने में लगे हुए हैं ।

(विश्वनाथ सचदेव, नवभारत टाइम्स, 20 दिसम्बर 2010)

अपेक्षा

राजनीति में हर दल वोट के लिए राजनीति का खेल खेलता है, उसकी कोशिश जनमानस को अपनी ओर खींचने की होती है । ऐसे में इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए, जिसका राष्ट्र के सम्मान व साख पर प्रतिकूल असर पड़े । नेताओं को यह समझना चाहिए कि साम्प्रदायिकता की राजनीति दुधारी तलवार होती है । तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही उसे कई बार सत्ता से बाहर रहना पड़ा है । वर्ष 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 28 प्रतिशत और भाजपा को 18 प्रतिशत मत मिले हैं, जिसके दूसरे कारण हैं । देश की जनता कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में देखना चाहती है ।

(रणविजय सिंह, राष्ट्रीय सहारा, 18 दिसम्बर 2010)

''नसीहत''

अमेरिका की मांग है कि बैंक ऑफ़ चाइना डॉलर की ख़रीद बंद करे । यह दूसरे देश की आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप है । चीन को युआन का मूल्य बढ़ाने की नसीहत देने के स्थान पर अमेरिका को अपने ट्रेजरी बांड, प्रापर्टी आदि विदेशियों को बेचने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए । अपने श्रमिकों के ऊंचे वेतन में कटौती करके अपने माल के दाम घटाने चाहिए, जिससे विश्व बाज़ार में उसकी बिक्री हो सके । अमेरिकी माल सस्ता हो जाएगा तो चीन के सस्ते माल का प्रवेश सहज ही कम हो जाएगा ।

(भरत झुनझुनवाला, नवभारत टाइम्स, 21 दिसम्बर 2010)

ख़तरनाक संकेत

कांग्रेस को इससे चिंतित होना चाहिए कि वर्तमान में वह लोगों का भरोसा खोने की ओर बढ़ती दिख रही है । निस्संदेह अन्य राजनीतिक दलों की तरह से कांग्रेस का काम भी वोटों के बग़ैर नहीं चल सकता, लेकिन अब तो वह वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी ही नीतियों और परंपराओं की उपेक्षा कर रही है । एक समय कांग्रेस दलितों, अल्पसंख्यकों एवं कुछ अन्य वर्गों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करती थी । उसकी यह छवि उसे मज़बूती भी प्रदान करती थी, लेकिन अब वह वोटों के लिए जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति को अपनाने की कोशिश करती दिख रही है वह एक ख़तरनाक संकेत है ।

(संपादकीय, दैनिक जागरण, 19 दिसम्बर 2010)

आवश्यकता

यदि सरकार ने कथनी और करनी के इस अन्तर को शीघ्र पाटने के लिए असरदार क़दम तुरंत नहीं उठाये तो हथकरघा बुनकरों की समस्याएं सीमा से बाहर चली जाएंगी और इसके साथ ही सरकार से उनका विश्वास भी उठ जाएगा । नाम हथकरघा बुनकरों का लेना और वास्तविक लाभ बड़े पूंजीपतियों को देना कपड़ा मंत्रालय की यह दोहरी नीति बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है । रेशम व सूत का धागा हथकरघा जुलाहों को उचित क़ीमत पर व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की असरदार नीतियां सरकार को तुरंत अपनानी चाहिए ।

(भरत डोगरा, राष्ट्रीय सहारा, 20 दिसम्बर 2010)

INFORMATION BROCHURE



- Almanar Social Service a registered society. Bridging the gap between giving and receiving ends.

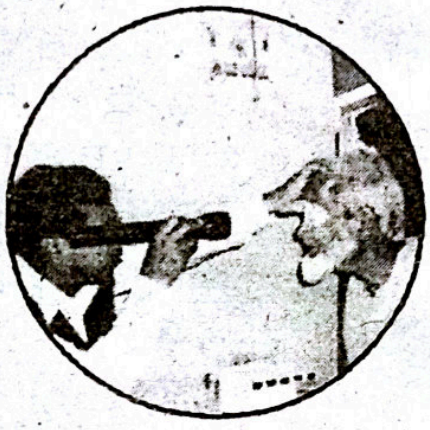

- Working in the field of education, health and employment generation.
- A unique charitable institution in Jharkhand.



- Projects in progress : Model primary school, Health

المنار سوشل سروس

Almanar Social Service

(An NGO registered societies Act XXI of 1860

President
Abul Arif
(M.Sc.)

Office : Jharna Road, Near Eidgaah Azadnagar,
Jamshedpur-832110
Tel. ; +91-657-6542806, +91-9279149654

Secretary
Haider Imam
(B.com. PG Dip)

Our Bank A/c No. 29601010007675
CANARA BANK
Kabir Memorial School, Zakir Nagar, Mango, Jamshedpur (Jharkhand)

यह कैसा लोकतंत्र ?

❖ विद्या प्रकाश

स्वातंत्र्योपरांत हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो अपना ली मगर जन जागरूकता, संगठन तथा अन्याय के प्रतिकार के अभाव में लोकतांत्रिक ढांचा बुनियादी तौर पर मज़बूत नहीं हो पाया । वह जातिवाद, भ्रष्टाचार, सत्तालिप्सा, कुर्सी मोह आदि अनेक समस्याओं एवं बुराइयों को ढकने का साधन मात्र बनकर रह गया है । आज राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर की तमाम छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों का नारा, एजेंडा, बैनर, बिल्ला, पोस्टर, पम्फ़लेट और ऑफ़िस आदि अलग-अलग होने के बावजूद उनका किरदार और उनकी कथनी व करनी एक सी है । तथा वे येन केन प्रकारेण आम अवाम को बेवक़ूफ़ बनाकर सत्ता हथियाने की कोशिश में लगी है । कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कोई समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया और कोई डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर के नाम की माला जपकर जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंक रहा है तथा कुर्सी क़ब्ज़ियाने की जुगाड़ में लगा है । तरीक़े और रास्ते अलग-अलग हैं मगर उनका मक़सद एक है और वह है कुर्सी प्राप्ति । सभी दल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा उनमें कोई नागनाथ हैं तो कोई सांपनाथ । लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के उद्देश्य से वे कल, बल और छल के हर संभव तरीक़े आज़माते हैं तथा बाहुबलियों, गुडों, बदमाशों और माफ़ियाओं को खुल्लमखुल्ला पालते व संरक्षण प्रदान करते हैं ।

कौन-सी ऐसी पार्टी है जिसमें आपराधिक छवि के पचीस-पचास भ्रष्ट सांसद तथा विधायक मौजूद न हों । इन भ्रष्टाचारी अपराधियों को क़ानूनी पकड़ से बचने के लिए राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता होती है । यही वह सामान्य बिन्दु है जो आपराधिक माफ़ियाओं तथा राजनेताओं को जोड़ती तथा एक प्लेटफार्म पर लाती है । कौन-सा ऐसा नेता है जिसके पास आय से अधिक सम्पत्ति न हो ? ये भ्रष्ट नेता चुनाव में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए बूथ कैप्चरिंग, फ़र्ज़ी वोटिंग, निर्वाचन अधिकारियों से मिलीभगत और सांठगांठ से मतदाता सूची में फ़र्ज़ी मतदाताओं का नाम डालने आदि हर प्रकार के नाजायज़ एवं ग़ैर-क़ानूनी काम को जायज़ समझते हैं तथा चुनाव के दौरान मतदाताओं में कंबल, साड़ी और शॉल बंटवाते हैं । सुरा-सुन्दरी, मुर्ग़-मुसल्लम, क़ीमा-क़बाब, बिरियानी, आमलेट और बाटी-चोखा का दौर मतदान तक नि:शुल्क चलता रहा है । झूठे आश्वासनों तथा धोखेबाज़ मक्कार वादों की बारिश होने लगती है । चुनाव जीतने के बाद फिर कौन किसको पूछता है ? क्या यही हमारा लोकतंत्र है ?

आज ग़रीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, बीमारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि बड़ी और अहम समस्याओं से जनता का ध्यान विचलित कर जाति-बिरादरी और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं । महापुरुषों को जातीय तथा दलीय कटघरे में लाकर उनके नामों तथा आदर्शों को राजनीतिक लाभ की ख़ातिर भुनाया जा रहा है । जो वोट के लिए सरेआम झूठ बोलते हैं, जिनको ब्लैक मार्केटिंग, कोटा परमिटबाज़ी, बूथ कैप्चरिंग और एहसानफ़रामोशी करने में तनिक भी झेंप-झिझक महसूस नहीं होती तथा जो पहले दर्जे के धूर्त, फ़रेब, मक्कार और जालसाज़ हैं, ऐसे लोग भी गांधी जी तथा डॉ॰ अम्बेडकर के नामों की दुहाई देने से बाज़ नहीं आते ।

जायज़-नाजायज़ तरीक़े से करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित-संचित करने वाले राजनेता भी राममनोहर लोहिया के समाजवादी आदर्शों के अनुसरण की बात पता नहीं किस मुंह से करते हैं । ये जाति धर्म के नाम पर जनता को अलग-अलग ख़ेमों में बांटकर सुरक्षित सत्ता सूत्र संचालन में अंग्रेज़ों से कम घाघ नहीं हैं । इनको पता है कि जिस दिन जनता संगठित हो जाएगी उस दिन हमारी दाल नहीं गलेगी तथा हम सत्ता से बेदख़ल कर दिये जाएंगे । इसलिए वे आरक्षण की शक्ल में जातिवाद की विष-वल्लरी को आज़ादी के 63 वर्षोपरांत भी पुष्ट कर रहे हैं । वे जनता को मोहरा बनाकर जातीय तथा साम्प्रदायिक आधार पर राष्ट्रघातक राजनीतिक, आर्थिक खेल खेल रहे हैं ताकि उनकी ताक़त में अधिकाधिक इज़ाफ़ा हो सके तथा उनकी जेब इसी प्रकार भरती रहे । जागरूकता और समझदारी के अभाव में जनता उनके झांसे और फुसलाने-बहकावे में आकर बराबर ठगी-छली जा रही है ।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

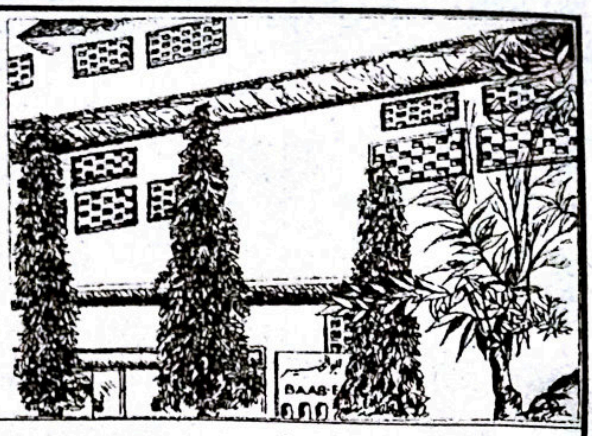

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा ● 24 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा ● 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं ● 1993 ई० से 2010 ई० तक 63 अनाथ बच्चियों और 37 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 13 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 8000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 73000/- रुपये ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

.....पता.....

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA

☎ 0631-2734437 ● Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

BANK A/C NO.: 7752 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

संस्थापक महासचिव

इक़बाल अहमद ख़ां

न्यूनतम मज़दूरी का सवाल

❖ अरुणा राय, निखिल डे

केन्द्र सरकार न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान में अपने ही क़ानूनी दायित्वों को नकार रही है । यहां तक कि सबसे ज़्यादा वंचित लोगों के लिए बनाए महानरेगा कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने से भी पीछे हट रही है । यदि कोई यह अध्ययन करना चाहता है कि भारत के नीति निर्माताओं में किसी प्रगतिशील क़ानून को उल्टी दिशा में ले जाने की कितनी क्षमता है तो उन्हें महानरेगा की मज़दूरी नीति से प्रारंभ करना चाहिए । इस क़ानून का उपयोग खुले तौर पर 1948 के न्यूनतम मज़दूरी क़ानून के उल्लंघन के रूप में हो रहा है । यह एकमात्र ऐसा क़ानून है जो भारत के विस्तृत शोषित असंगठित क्षेत्र के लोगों को संरक्षण देने का साधन है । न्यूनतम मज़दूरी के अधिकार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है । यह भी कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी न देना संविधान की धारा 23 का उल्लंघन है और उसे बेगार, 'जबरन मज़दूरी' माना जाएगा ।

जनवरी 2009 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना से महानरेगा की मज़दूरी को न्यूनतम मज़दूरी से अलग कर दिया । यह धारा 6(1) के तहत किया गया । यह मूल रूप से भारत में सभी मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी के सिद्धांत को अस्वीकार करने जैसा है । असंवैधानिकता के सिद्धांत को स्वीकार करके नज़रअंदाज़ किया और जवाबदेही को एक दूसरे पर डालने का काम किया गया । इसमें वित्तीय बात को मानवाधिकार, नैतिकता व नीति से ऊपर कर दिया गया । आज़ादी के बाद जिन लोगों ने ज़्यादातर संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, शायद महानरेगा की सीमित सफलता भी उनके गले नहीं उतर रही है ।

कुछ निहित स्वार्थों की आदत है कि वे अपनी शक्ति व कुशलता को अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ग़रीबों को मिलने वाले फ़ायदे को नौकरशाही के जाल में फंसाकर उलझा सकते हैं । महानरेगा कार्यक्रम ने इसके आलोचकों को कई महत्वपूर्ण तरीक़ों से ग़लत साबित किया है । इस कार्यक्रम ने ग्रामीण श्रमिकों की कमाने की क्षमता को बढ़ाया है । इस कार्यक्रम ने न तो बजट संबंधी आपातकाल पैदा किया और न ही वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ायी जैसा कि कई अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी । वस्तुतः इस क़ानून को इस रूप में उत्तरदायी माना जा सकता है कि ग्रामीण भारत के ज़्यादा लोगों को बुरी अर्थव्यवस्था से बचाया । जहां यह क़ानून अच्छी तरह लागू नहीं हो पाया वहां भी श्रमिकों की सभी नियोक्ताओं से यहां तक जागीरदारों व ठेकेदारों से भी न्यूनतम मज़दूरी की मांग की क्षमता को बढ़ाया । महानरेगा कार्य स्थल पर भी मज़दूरों ने कम मज़दूरी को स्वीकार नहीं किया और अपने काम के हक़ की मांग की । वस्तुतः यह स्पष्ट है कि अब यह बजट पर भार का हौवा नहीं बल्कि नीति को प्रभावित करने वाले ताक़तवर लोगों के लिए यह सस्ते मज़दूरों की उपलब्धता पर प्रभाव डालने वाली योजना है ।

ग्रामीण मंत्रालयों की 1 जनवरी 2009 की अधिघोषणा ने महानरेगा की मज़दूरी को सौ रुपये और कई राज्यों में जहां न्यूनतम मज़दूरी ज़्यादा थी वहां भी महानरेगा की मज़दूरी को सौ रुपये पर ठहरा दिया । इस तरह भारत सरकार ने यह साफ़ कर दिया कि वे न्यूनतम मज़दूरी की बात पर कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है । जब क़ानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तभी से न्यूनतम मज़दूरी के मुद्दे पर विवाद था ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको इस रूप में लिया कि उन्हें यह इजाज़त मिल गयी कि वे मज़दूरी दर तय करें और राज्य सरकारें उतनी मज़दूरी दे सकती हैं जितनी उनकी क्षमता हो । उदाहरण के लिए यह सरकार को इजाज़त देता है कि टोंक ज़िले के 99 श्रमिकों को 11 दिन तक 1 रुपये रोज़ की मज़दूरी भुगतान को क़ानूनी रूप से न्यायोचित ठहराये । इस दुनिया में तकनीकी पक्ष क़ानूनी पक्ष से ऊपर है और क़ानूनी पक्ष संवैधानिक पक्ष से ऊपर है । 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रम व सेवा देता है और उसके बदले भुगतान मिलता

है और यह न्यूनतम मज़दूरी से कम है तो श्रम व सेवा जो दी गयी है वह स्पष्ट तौर पर 'जबरन श्रम' या बेगार की श्रेणी में आती है और यह संविधान की धारा 23 का उल्लंघन है । इस धारा में साफ़ है कि न्यूनतम मज़दूरी से कम देना बेगार है । वह व्यक्ति न्यायालय में शिकायत कर सकता है और धारा 23 के अनुसार पूरा भुगतान पाने की मांग कर सकता है जिससे धारा 23 का उल्लंघन न हो ।

1 जनवरी 2009 की अधिसूचना पर 10 जुलाई 2009 को ग्रामीण विकास मंत्रालय में चर्चा हुई और श्रम विभाग ने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार रिकार्ड कराया'' न्यूनतम मज़दूरी क़ानून 1948 श्रमिक को न्यूनतम मज़दूरी प्राप्त करने की गारंटी देता है और किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम मज़दूरी की दर से कम मज़दूरी की दर नहीं हो सकती ।'' इसकी साफ़ तौर पर अवहेलना की गयी । ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि धारा 6(1) में जो मज़दूरी दर की अधिसूचना की गयी है वह न्यूनतम मज़दूरी क़ानून 1948 से स्वतंत्र है ।

आंध्र के मज़दूरों के समूहों ने न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान के मुद्दे को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उठाया और न्यायालय ने 1 जनवरी 2009 की अधिसूचना को स्थगित कर दिया । आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि राज्य में जो न्यूनतम मज़दूरी की अधिसूचना है उतना भुगतान किया जाए । भारत सरकार ने मुद्दे पर पुनरावलोकन किया और तय किया कि बढ़ा हुआ वित्तीय भार राज्य सरकारों को पूरा करना होगा । वित्तीय सलाहकार व अतिरिक्त सचिव ने कहा, ''हमारा रुख़ आंध्र प्रदेश सरकार के संदर्भ में यह होना चाहिए कि राज्य सरकार ने जो न्यूनतम मज़दूरी की अधिसूचना जारी कर रखी है उसके अनुसार भुगतान करने की ज़िम्मेदारी उसी सरकार की है । भारत सरकार ने महानरेगा की धारा 6(1) के तहत जितनी मज़दूरी की इजाज़त दी है उतनी की ही भरपाई करेगा,।''

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने मज़दूरी निर्धारण समिति को क़ानूनी राय प्रदान की । यह समिति केन्द्रीय रोज़गार गारंटी परिषद द्वारा धारा 6(1) जो असमानता पर आधारित है, पर विचार करने के लिए बनायी थी । धारा 6 की उपधारा अपने आप भारत सरकार को यह अधिकार नहीं देती है कि न्यूनतम मज़दूरी क़ानून में तय मज़दूरी से कम मज़दूरी की दर वह तय कर दे । न्यूनतम मज़दूरी से कम मज़दूरी का भुगतान बेगार व जबरन श्रम की श्रेणी में आता है ।'' इस आधार पर समिति ने अपनी आपात सिफ़ारिश की कि किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम मज़दूरी क़ानून के प्रावधानों पर कोई अन्य प्रावधान आना चाहिए और इस कारण धारा 6(1) की अधिसूचना को वापस लिया जाना चाहिए । इस पर मंत्रालय ने जवाब दिया ''यह संभव नहीं है । धारा 6(1) में तय की गयी मज़दूरी दर न्यूनतम मज़दूरी से अलग है ।

यह दोहरापन समाप्त होना चाहिए । देश को अपना विचार बनाना चाहिए कि क्या अन्याय व असमानता का यह चेहरा यूं ही चलता रहेगा । एक बात स्पष्ट है असंवेदनशीलता और मूलभूत अधिकारों को लगातार नकारने से संघर्ष व हिंसा बढ़ेगी । दोनों महानरेगा व न्यूनतम मज़दूरी क़ानून बहुत ही न्यूनतम व्यवस्थाएं हैं और एक से दूसरे को ताक़त मिलनी चाहिए । ऐसे समय जब महान आर्थिक शक्ति बनने का दावा किया जा रहा है तब सरकार का कोई नैतिक व तार्किक आधार नहीं बनता कि अत्यंत वंचित लोगों के न्यूनतम मज़दूरी के दायित्व से अपने आपको दूर करके उसके लिए मना करे । (विविधा फीचर्स)

प्रो॰ मुहम्मद क़मरुज़्ज़मा

9826809922
9826689853

पापुलर ट्रेवल्स

लग्जरी बस सेवा 2/2 (स्लीपर) के लिए सम्पर्क करें ।

अम्बिकापुर से बिलासपुर	रात्रि	23:20
अम्बिकापुर से रायपुर	प्रात:	03:00
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:30
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:25
अम्बिकापुर से डाल्टेनगंज	रात्रि	22:30
मननगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	19:10
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	05:00
अम्बिकापुर से चीरमीरी	प्रात:	06:30
अम्बिकापुर से मननगढ़	संध्या	16:10
रायगढ़ से डाल्टेनगंज	रात्रि	21:40

राम मंदिर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

पांच सौ साल पुराना है टूथ ब्रश का इतिहास

● विद्या प्रकाश

अपने दांत को चमकाने तथा दुर्गन्ध युक्त मैल से छुटकारा पाने के लिए हम जिस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है । पहले व्यक्ति दांत की सफ़ाई के लिए नीम, बबूल या डिठोहरी के दातौन का प्रयोग करता था । अब बाज़ार में तरह-तरह के ब्रश तथा दंत मंजन का प्रचलन बढ़ जाने से दातौन का इस्तेमाल पहले से कम हो गया है ।

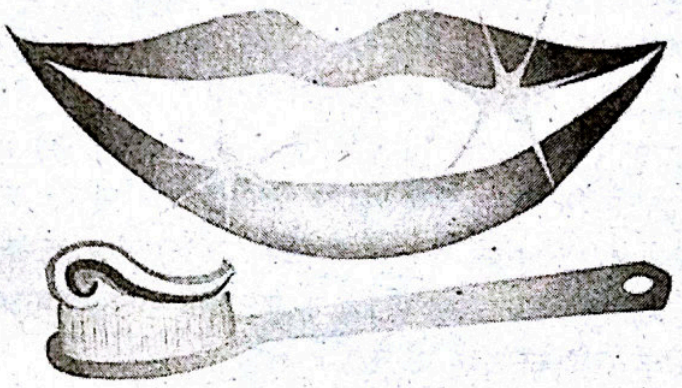

आज से 512 साल पहले 26 जून सन 1498 को चीन में एक व्यक्ति ने एक ऐसा ब्रश तैयार किया जिससे दातौन के मुक़ाबले दांतों की सफ़ाई ज़्यादा अच्छी तरह से की जा सकती थी । 26 जून को आविष्कार होने के कारण ही दुनिया भर में 26 जून को टूथ ब्रश डे मनाया जाता है । शुरुआती दौर में टूथ ब्रश का हैंडल हड्डी या बांस की लकड़ी का बना होता था तथा दांतों को रगड़ने के लिए उसमें जानवरों के बाल लगे रहते थे । धीरे-धीरे टूथ ब्रश का रूप बदलने लगा तथा आविष्कारकों ने अपने अलग-अलग तरीक़ों से इसे आधुनिक स्वरूप देने का प्रयास किया ।

चीन में टूथ ब्रश के आविष्कार के उपरांत सन 1780 में इंग्लैंड के विलियम एडिस नामक व्यक्ति ने पहले से थोड़ा हटकर आधुनिक टूथ ब्रश बनाया लेकिन पेटेंट के मामले में अमेरिका बाज़ी मार गया । सात नवम्बर सन 1857 को अमेरिका के एस॰एन॰ वासवर्थ ने टूथ ब्रश का पेटेंट हासिल किया तथा उसका पेटेंट नम्बर 18653 था । आज हम जिस टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1938 में शुरू हुआ । दंत चिकित्सकों के कथानानुसार आज बड़े पैमाने पर घर-घर में टूथ ब्रश का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन अधिकतर लोग इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करना नहीं जानते । आजकल बाज़ार में रंग-रंग के प्लास्टिक के सुन्दर टूथ ब्रश मिलते हैं ।

दंत रोग विशेषज्ञों के अनुसार दांतों को स्वच्छ रखने के लिए हमें सही ढंग से ब्रश करना चाहिए तथा ब्रश की अधिकतम अवधि 3 मिनट तक ही होनी चाहिए । ज़्यादा तक दांतों पर ब्रश घिसने तथा रगड़ने से मसूड़ों को नुक़सान पहुंचाता है । रात में सोने से पहले तथा प्रात:काल दोनों समय ब्रश करना चाहिए । ब्रश प्रत्येक दांत तक पहुंचना चाहिए ताकि किसी भी दांत में अन्न कण फंसा न रह जाए । दांतों में अन्न कण फंसे रह जाने से दुर्गन्ध तथा तरह-तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं । टूथ ब्रश न ज़्यादा सख़्त होना चाहिए और न अत्यधिक मुलायम । दांतों को सुन्दर और चमकीला बनाए रखने के लिए बढ़िया गुणवत्तायुक्त ब्रश का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए ।

NEW EMPRESS MILLS
1st Phase Industrial Area BALOTRA-344022 (Raj.)
Visit us. www.Empress. com. E-mail : empresspoplin@hotmail.com
(M) SAYED PARWAN ALI 09214408133
Empress POPLIN
LILLY लिली गोल्ड GOLD
Superior Nighty
KAJAL काजल गोल्ड GOLD
MFG. OF : HIGHCLASS STANDARD POPLIN & NIGHTY PRINTS

वैज्ञानिक तरीक़े से अपने छत्तों की जांच करती है बर्र

तेल अबीब यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि बर्र (हारनेट) एक कुशल मिस्त्री की भांति अपने छत्तों के एक रेखा में होने की जांच सूक्ष्म, चुम्बकीय स्फटिक से करती हैं । बर्र के छत्तों का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के इस दल का कहना है कि बर्र इन स्फटिकों का उपयोग तलमापी की तरह करती हैं और अंधेरे में इन्हीं स्फटिकों के कारण वे आसानी से यह पता लगा लेती हैं कि उनका छत्ता कहीं ख़तरनाक तरीक़े से झुका हुआ तो नहीं है ।

बर्र अपना छत्ता षटकोणीय नलियों को एक साथ लगाकर बनाती हैं और उन्हें सहारा देने के लिए खड़े टेक भी लगाती हैं ।

ये नलियां ऊपर से बंद और नीचे से खुली होती हैं । इन नलियों में बर्र के अंडे, इल्लियां तथा शिशु बर्र रहते हैं । ये छोटे-छोटे स्फटिक ही तलमापी की तरह कार्य करते हैं और इन्हीं की सहायता से बर्र प्रत्येक नली के समान स्तर पर होने की जांच करती है । बर्र अपने थूक की सहायता से इन स्फटिकों को बच्चों की नलियों के बंद भाग के ऊपर चिपकाती है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली–6 से मुद्रित । फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।

With best compliments from:

Ph: 0651-2330144, 2330604
Mo. 09334706965

Azad Pharma
formerly
Azad Pharmacy

Timing :
10:00 a.m. to 09:00 p.m.

Sunday
Closed

B-7, Sainik Market, Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

2010 کی نئی کتابیں

دروس قرآن [۱]	خرم مرادؒ	100.00
دروس قرآن [۲]	خرم مرادؒ	90.00
اسلامی تحریک کے قائدین کی صفات	مولانا صدرالدین اصلاحیؒ	10.00
محمد رسول اللہؐ کا اسوۂ حسنہ وکاملہ	مولانا سید احمد عروج قادریؒ	20.00
سیرت النبیؐ کا مطالعہ کیسے کریں؟	مولانا سید احمد عروج قادریؒ	8.00
سرگرم عمل رہنے کی تدابیر	مولانا سید احمد عروج قادریؒ	12.00
کیا دنیا اسلام کی منتظر ہے؟	ڈاکٹر فضل الرحمٰن فریدی	10.00
جماعت اسلامی کی پانچ بنیادی خصوصیات	ڈاکٹر محمد رفعت	10.00
اسوۂ رسولؐ اور ہم	ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی	14.00
گھریلو تشدد اور اسلام	ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	30.00
وادیِ سندھ کی تہذیب کے اسلامی عناصر	غلام الثقلین	24.00
مولانا مودودیؒ کی نثر نگاری	ڈاکٹر امتیاز احمد	70.00
اسوۂ رسولؐ کے سترہ روشن عناوین	مولانا اسجد قاسمی ندوی	12.00
مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ	ظفر آفاق انصاری	10.00
عقیدۂ اسلامی	علامہ محمد غزالیؒ	120.00
روح کے نغمے	سید قطب شہیدؒ	10.00
حضرت محمدؐ سب کے لیے	محمد رفیع الدین فاروقی	20.00
ابلاغ دعوت اور اقامت دین	ریاض احمد خاں	16.00

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • Website: www.mmipublishers.net

Posted on 20-21 January 2011
February 2011
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.01.2011

हिन्दी मासिकों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2009-2011
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Licence No. U (SE)-73/2009-11

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

'कान्ति' साप्ताहिक इसलिए पढ़िए...

मीडिया जन-चेतना पैदा करने का सशक्त माध्यम है। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या इन्टरनेट इन सभी के द्वारा जनता में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है। यह मीडिया की प्रचलित परिभाषा है। 'कान्ति' की पत्रकारिता निश्चित रूप से इस परिभाषा से हट कर इस मायने में है कि यह मौलिक रूप में भले और कल्याण की आवाहक है।

यह घटनाओं और समाचार तथ्यों का इस प्रकार विश्लेषण व पड़ताल करती है कि पाठक उनके मर्म को न केवल समझें, और सही और सकारात्मक सोच विकसित करें। समस्या के समाधान के लिए वे क़दम उठाएं जो मानव मूल्यों और मानव के हक़ व अधिकार को हड़पने वाले न हों, बल्कि सर्वकल्याणकारी हों। यह बात सभी को मालूम है कि वास्तविक धार्मिक शिक्षाओं और नैतिक व मानवीय मूल्यों के सही अनुपालन से ही सही सोच व कर्म विकसित हो सकता है।

'कान्ति' साप्ताहिक ने दशकों से मानवता की सेवा का यह कार्य अंजाम दिया है और आज भी इसी दिशा में निरंतर अग्रसर है।

प्रति कॉपी ₹ 5 — वार्षिक ₹ 250

'कान्ति' साप्ताहिक

डी-314, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-25

फ़ोन : 011-26949430, फ़ैक्स : 011-26958816